हिमाचल प्रदेश विधान सभा

विधान सभा की बैठक मंगलवार, दिनांक 25 फरवरी, 2020 को माननीय उपाध्यक्ष, श्री हंस राज की अध्यक्षता में कौंसिल चैम्बर, शिमला-171004 में 11.05 बजे पूर्वाह्न आरम्भ हुई।

माननीय राज्यपाल का अभिभाषण

25.02.2020/1105/SS-KS-AG-AS/1

राष्ट्रगान गाया गया।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय एवं माननीय सदस्यगण,

1. हिमाचल प्रदेश की तेरहवीं विधान सभा के अष्टम् सत्र तथा वर्ष 2020 के बजट सत्र में, मैं आप सभी का हार्दिक अभिनन्दन करता हूँ। इस वर्ष के प्रथम सत्र का आयोजन जनवरी माह में एक विशेष उद्देश्य हेतु किया गया था, जिसमें आप सभी को सम्बोधित करते हुए मैंने अपना विस्तृत अभिभाषण इस वर्ष के बजट सत्र में करने बारे कहा था। तद्नुसार मैं अपना विस्तृत अभिभाषण करने जा रहा हूँ।

2. किसी भी लोकप्रिय सरकार की सफलता, जनता की इच्छाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने के प्रति उसके समर्पण और दक्षता पर निर्भर करती है। यह माननीय सदन जनता की इच्छाओं और बहुमत का प्रतिनिधित्व करता है। प्रदेशवासियों के कल्याण और उत्थान को प्रभावित करने वाली सरकार की नीतियों, कार्यक्रमों और निर्णयों पर विवेकपूर्ण तथा ज्ञानसम्मत विचार–विमर्श की गौरवशाली परम्परा का इस सम्माननीय सदन ने सदा ही निर्वहन किया है। अतः मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह सदन मेरी सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों पर रचनात्मक विचार–विमर्श की उच्च परम्पराओं को बनाए रखेगा।

3. जैसा कि आप सभी माननीय सदस्यगण जानते हैं, केन्द्र सरकार ने जनहित में संविधान (जम्मू एवं कश्मीर में लागू) आदेश, 2019

पारित किया है। इस आदेश द्वारा धारा 370 को समाप्त कर कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरे देश को, एक तिरंगे झण्डे के नीचे लाकर, एक संविधान को लागू किया गया है। इसके अतिरिक्त माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने राम जन्म भूमि मामले का निपटारा करके एक ऐतिहासिक निर्णय के द्वारा राम मन्दिर निर्माण का रास्ता प्रशस्त कर दिया है। भारत सरकार ने नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 द्वारा नागरिकता अधिनियम, 1955 में संशोधन कर अफगानिस्तान, पाकिस्तान तथा बांग्लादेश से धार्मिक प्रताड़ना के कारण भारत में प्रविष्ट हुए हिन्दू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी या ईसाई समुदाय के लोगों को संशोधित अधिनियम में विनिर्दिष्ट शर्त्तों के साथ भारत की नागरिकता प्रदान करने की व्यवस्था की है। यह तभी सम्भव हो पाया जब एक सशक्त नेतृत्व इस देश का मार्गदर्शन कर रहा है। मेरी सरकार इन ऐतिहासिक निर्णयों का समर्थन करती है तथा केंद्रीय सरकार को इन अभूतपूर्व निर्णयों के लिये बधाई देती है।

4. इसके अतिरिक्त मेरी सरकार, केन्द्रीय प्रायोजित योजना **'जल जीवन मिशन'** के अन्तर्गत 2 हज़ार 896 करोड़ रूपये की 327 योजनाओं की स्वीकृति हेतु केन्द्र सरकार का आभार व्यक्त करती है। केन्द्र सरकार द्वारा आरम्भ की गई **'प्रधान मन्त्री किसान सम्मान निधि'** योजना के अन्तर्गत प्रदेश में किसानों को दिनांक 21 जनवरी, 2020 तक लगभग 597 करोड़ रूपये की राशि वितरित की गई है, जिससे 8 लाख 46 हज़ार 784 किसान लाभान्वित हुए हैं। समाज के इस प्रमुख वर्ग को

यह सहायता प्रदान करने के लिए भी मेरी सरकार केन्द्र सरकार के प्रति आभार व्यक्त करती है।

5. सेवा और सुशासन मेरी सरकार का प्रमुख ध्येय हैं। अतः मेरी सरकार ने सरकार और जनता के बीच सीधा संवाद स्थापित करने के उद्देश्य से विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं व कार्यक्रम, जैसे संशोधित **सामाजिक सुरक्षा पैंशन, हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना, हिम केयर योजना, आयुष्मान भारत योजना, मुख्य मन्त्री चिकित्सा सहायता कोष, मुख्य मन्त्री स्वावलम्बन योजना, जनमंच, मुख्य मन्त्री सेवा संकल्प हेल्पलाईन–1100, शक्ति बटन ऐप, गुड़िया हेल्पलाईन–1515, होशियार सिंह हेल्पलाईन–1090, ग्लोबल इनवेस्टर मीट, हिम प्रगति पोर्टल, नशे का रोकथाम अभियान, सहारा योजना, मेधा प्रोत्साहन योजना, मुख्य मन्त्री खेत संरक्षण योजना, नई राहें नई मंजिलें योजना इत्यादि को लागू किया है।**

6. **'ये दो साल विश्वास के, प्रगति और विकास के'**, हमारे सिद्धांत के अनुरूप रहे हैं तथा मेरी सरकार ने प्रदेशवासियों से किए अधिकांश चुनावी वायदों को पूरा कर दिया है। इस अवधि में मेरी सरकार ने प्रदेश में विकास की गति को केन्द्र सरकार के सहयोग से तीव्र करने में सफलता प्राप्त की है, जिसके फलस्वरूप प्रदेश की जनता ने गत वर्ष आयोजित हुए लोक सभा चुनाव तथा धर्मशाला एवं पच्छाद में हुए विधान सभा उप चुनावों में, केन्द्र व प्रदेश सरकार की नीतियों व कार्यक्रमों में विश्वास रखते हुए, अपार समर्थन दिया है। प्रदेशवासियों

की इच्छाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने में मेरी सरकार किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है।

7. मेरी सरकार आम जनता को कुशल, स्वच्छ एवं पारदर्शी शासन प्रदान करने के लिये वचनबद्ध है। जन समस्याओं का शीघ्र निपटारा मेरी सरकार की प्राथमिकता है। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु शिकायत निवारण तन्त्र को सुदृढ़ और प्रभावी किया गया है।

8. मेरी सरकार ने जनहित में लोगों की शिकायतों के शीघ्र निवारण हेतु 16 सितंबर, 2019 को **'मुख्यमन्त्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन परियोजना'** लागू की है। इस योजना के माध्यम से नागरिक, कहीं से भी, टोल फ्री नंबर 1100 डायल कर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। इस हेल्पलाइन पर 16 फरवरी, 2020 तक प्राप्त शिकायतों में से 33 हज़ार 275 शिकायतों का संतोषजनक निवारण कर दिया गया है।

9. मेरी सरकार ने जनता की समस्याओं का मौके पर समाधान करने हेतु प्रदेश में एक महत्वकांक्षी कार्यक्रम **'जनमंच'** आरम्भ किया है। इसके अन्तर्गत राज्य के विभिन्न विधान सभा क्षेत्रों में 16 फरवरी, 2020 तक 189 जनमंच कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं, जिनमें कुल 45 हज़ार 708 शिकायतें व मांगे प्राप्त हुई हैं। इनमें से 41 हज़ार 698 शिकायतों एवं मांगों का निपटारा कर दिया गया है, जोकि कुल शिकायतों का 91 प्रतिशत है।

10. जन समस्याओं के ऑनलाइन अनुश्रवण एवं निपटारे हेतु लगभग सभी विभागों में वैब (web) आधारित सॉफ्टवेयर तैयार कर

कार्यशील किया गया है। इस प्रणाली के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति अपनी समस्या को ऑनलाइन दर्ज करवा सकता है तथा सम्बन्धित विभाग द्वारा की गई कार्यवाही का अवलोकन भी कर सकता है। आम जनता की सुविधा हेतु सरकार ने सभी उपायुक्त कार्यालयों मे स्थापित सुगम केन्द्र में ई0–समाधान प्रणाली के अन्तर्गत शिकायत दर्ज करने हेतु एक विशेष काउंटर स्थापित करने का प्रावधान भी किया है।

11. सरकारी विभागों में कागज–रहित वातावरण बनाने, कामकाज में पारदर्शिता व दक्षता लाने के उद्देश्य से ई–ऑफिस प्रणाली लागू की गई है। इस प्रणाली में 46 विभागों को शामिल किया गया है और 12 हज़ार 423 नस्तियाँ ई–ऑफिस पर बनाई गई हैं। इसके अतिरिक्त नियमित आधार पर विभागों को ई–ऑफिस प्रणाली का प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

12. मेरी सरकार ने **'हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना'** के अन्तर्गत प्रदेश में कुल 2 लाख 76 हज़ार पात्र परिवारों को निःशुल्क गैस कनैक्शन उपलब्ध करवाए हैं। वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान 1 लाख 75 हज़ार 514 घरेलू गैस कनैक्शन आवंटित किए गए, जिस पर लगभग 57 करोड़ की राशि व्यय की गई। इस योजना के अन्तर्गत अब प्रदेश में कोई भी ऐसा पात्र परिवार घरेलू गैस कनैक्शन से वंचित नहीं है, जिसने दिसम्बर, 2019 तक आवेदन किया था। यह हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारा प्रदेश पूरे देश में इस उद्देश्य में सर्वप्रथम रहा है।

13. मेरी सरकार ने प्रदेश को आर्थिक रूप से स्वावलम्बी बनाने, निवेश आमंत्रित करने तथा युवाओं को रोज़गार के अवसर सृजित करने के उद्देश्य से कांगड़ा जिले के धर्मशाला में पहली बार दिनांक 7 व 8 नवम्बर, 2019 को **'ग्लोबल इन्वेस्टर्ज़ मीट'** का आयोजन किया। इस सम्मेलन का शुभारम्भ भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा किया गया। प्रदेश में समग्र विकास हेतु निवेश के लिए प्रमुख क्षेत्रों की पहचान की गई है, जिनमें कृषि–बागवानी पर आधारित उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण, पर्यटन, आतिथ्य–सत्कार, नागरिक उड्डयन, स्वास्थ्य, आयुष व वेलनैस, हाइड्रो व नवीकरणीय ऊर्जा, फार्मास्यूटिकल, आवास, शहरी विकास, परिवहन व अधोसंरचना, सूचना प्रौद्योगिकी व इलेक्ट्रॉनिक्स, शिक्षा व कौशल विकास शामिल हैं।

14. इस मीट के माध्यम से पूरे प्रदेश के हर क्षेत्र के विकास हेतु मेरी सरकार ने 1 लाख 96 हज़ार व्यक्तियों के प्रस्तावित रोज़गार के साथ 97 हज़ार 700 करोड़ रूपये के निवेश हेतु 736 समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किए हैं। यह हर्ष का विषय है कि केवल मात्र दो माह की अवधि में पहली ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का आयोजन किया गया, जिसके दौरान विभिन्न विभागों के 13 हज़ार 656 करोड़ रूपये के 240 समझौता ज्ञापन धरातल पर उतारे गए।

15. प्रदेश की अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्वपूर्ण योगदान है। राज्य के किसानों की आय को दोगुना करने के लिए मेरी सरकार दृढ़ संकल्प है। मुझे खुशी है कि राज्य में कम लागत की प्राकृतिक

खेती को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से **'प्राकृतिक खेती, खुशहाल किसान योजना'** आरम्भ की गई है। चालू वित्तीय वर्ष में 61 हज़ार 161 कृषकों ने इस पद्धति को सफलतापूर्वक अपनाया है और 2 हज़ार 114 हैक्टेयर क्षेत्र इसके अन्तर्गत लाया गया है।

16. बंदरों और अन्य जंगली जानवरों से किसानों की फसलों को संरक्षित करने के लिए मेरी सरकार ने प्रदेश में **'मुख्य मन्त्री खेत संरक्षण योजना'** आरम्भ की है। इस योजना के अन्तर्गत कृषकों को सोलर ऊर्जा चलित बाड़ लगाने के लिए व्यक्तिगत स्तर पर 80 प्रतिशत, व 3 से अधिक किसानों को समूह आधारित बाड़बंदी के लिए 85 प्रतिशत अनुदान उपलब्ध करवाया जा रहा है। चालू वित्तीय वर्ष में इस योजना के अन्तर्गत 1 हज़ार 230 किसान लाभान्वित हुए हैं।

17. कृषि क्षेत्र में उत्पादन एवं उत्पादकता को बढ़ाने हेतु जल संरक्षण एवं आश्वस्त सिंचाई अत्यन्त आवश्यक है। इस उद्देश्य की प्रतिपूर्ति हेतु मेरी सरकार ने राज्य में **'जल से कृषि को बल'** नामक योजना आरम्भ की है। चालू वित्तीय वर्ष में इस योजना के अन्तर्गत 285 जल संचयन संरचनाओं (water storage structures) का निर्माण किया गया है, जिससे 7 हज़ार 125 घनमीटर जल क्षमता विकसित हुई है। इस योजना पर 22 करोड़ 50 लाख रूपये व्यय किए गए हैं। इसके अतिरिक्त कृषि लागत को कम करने हेतु किसानों को सिंचाई के लिए

बिजली की दर **75 पैसे प्रति यूनिट से घटाकर 50 पैसे प्रति यूनिट** की गई है।

18. कृषि उपकरणों का प्रयोग करते समय चोट लगने से स्थायी अपंगता और मृत्यु होने पर प्रभावित किसानों व उनके परिवारों को मुआवज़ा प्रदान करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा **'मुख्य मन्त्री किसान एवं खेतीहर मज़दूर जीवन सुरक्षा योजना'** चलाई जा रही है। चालू वित्तीय वर्ष में मेरी सरकार ने इस योजना के अन्तर्गत मिलने वाली मुआवज़ा राशि को, स्थाई अपंगता की स्थिति में दोगुना करते हुए 50 हज़ार रूपये से 1 लाख रूपये, तथा मृत्यु की स्थिति में 1 लाख 50 हज़ार रूपये से 3 लाख रूपये कर दिया है। इस योजना के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष में 12 प्रभावित किसानों एवं उनके परिवारों को 11 लाख 10 हज़ार रूपये की राशि मुआवज़े के रूप में प्रदान की गई है।

19. कृषि यन्त्रीकरण को बढ़ावा देने और उसे मज़बूत करने के लिए राज्य में **'राज्य कृषि यन्त्रीकरण कार्यक्रम'** आरम्भ किया गया है। इसके अन्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष में 50 प्रतिशत उपदान पर 49 हज़ार 700 आधुनिक मशीनरी एवं कृषि उपकरण प्रदेश के किसानों को उपलब्ध करवाए गए हैं, जिस पर 20 करोड़ रूपये की धनराशि व्यय हुई है। इसके अतिरिक्त प्रदेश के किसानों को उन्नत किस्म के बीज व चैफ (Chaff) कटर 50 प्रतिशत अनुदान पर उपलब्ध करवाने हेतु **'उत्तम चारा उत्पादन योजना'** क्रियान्वित की गई है। चालू वित्तीय वर्ष में इस

योजना के अन्तर्गत 8 करोड़ 97 लाख रूपये व्यय कर लगभग 2 लाख 12 हज़ार 692 किसानों को लाभान्वित किया गया है।

20. प्रदेश की आर्थिकी में बागवानी क्षेत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। वर्तमान में बागवानी का राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 5 हज़ार करोड़ रूपये का योगदान है। मेरी सरकार बागवानी क्षेत्र के विस्तार एवं समग्र विकास हेतु निरन्तर प्रयासरत है। मेरी सरकार को, बागवानी क्षेत्र के विविधीकरण एवं व्यवसायीकरण के उद्देश्य हेतु उठाए गए ठोस प्रयासों, नई पहलों एवं कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए भारतीय खाद्य एवं कृषि परिषद्, नई दिल्ली (Indian Chamber of Food and Agriculture, New Delhi) द्वारा दिनांक 5 नवम्बर, 2019 को बेस्ट हार्टिकल्चर स्टेट अवॉर्ड–2019 (Best Horticulture State Award- 2019) से नवाज़ा गया है। मेरी सरकार द्वारा चालू वित्त वर्ष में लगभग 5 हज़ार 250 हैक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र विविध फल फसलों के अन्तर्गत लाया है। बागवानों को सेब उत्पाद का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करवाने हेतु **'मण्डी मध्यस्थता योजना'** (Market Intervention Scheme) के अन्तर्गत 49 करोड़ रूपये मूल्य का 'सी–श्रेणी' का 61 हज़ार 647 मीट्रिक टन सेब प्रोक्योर (procure) किया गया है।

21. **'एकीकृत बागवानी विकास मिशन', 'राष्ट्रीय कृषि विकास योजना', 'प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना'** तथा **'कृषि यंत्रीकरण पर उप मिशन'** जैसी विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत फलों की सघन खेती, उच्च मूल्य के फूलों एवं सब्जियों की संरक्षित खेती द्वारा 30 हज़ार

वर्ग मीटर अतिरिक्त क्षेत्र, संरक्षित खेती के अन्तर्गत लाया गया है। सिंचाई सुविधाओं में वृद्धि हेतु सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली पर बल देकर 86 जल भंडारण टैंकों का निर्माण किया गया।

22. मेरी सरकार द्वारा वर्तमान वित्तीय वर्ष में नई योजना **'हिमाचल खुम्ब विकास योजना'** को आरम्भ किया गया। इस योजना के अन्तर्गत 5 करोड़ रुपये की धनराशि आवंटित की गई, जिससे वर्तमान में 40 मशरूम उत्पादकों को खुम्ब उत्पादन इकाईयों की स्थापना हेतु लाभान्वित किया गया है। **'हिमाचल पुष्प क्रान्ति योजना'** के अन्तर्गत 10 करोड़ रूपये की राशि आवंटित की गई। इस योजना से 320 किसान लाभान्वित हुए हैं और 40 हज़ार वर्ग मीटर का अतिरिक्त क्षेत्र हरितगृहों के अन्तर्गत लाया गया है।

23. शहद का उत्पादन बढ़ाने व ग्रामीण युवाओं को स्वरोज़गार के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से **'मुख्य मन्त्री मधु विकास योजना'** के अन्तर्गत 5 करोड़ रूपये की राशि आवंटित की गई, जिससे 158 मौनपालक लाभान्वित हुए।

24. फल फसलों को ओलावृष्टि से बचाने हेतु आरम्भ की गई योजना **'ओला अवरोधक जालियों की स्थापना'** के अन्तर्गत 20 करोड़ रूपये की राशि आवंटित की गई है, जिससे 675 किसान लाभान्वित हुए हैं और 337 हैक्टेयर क्षेत्र को ओला अवरोधक जालियों के अन्तर्गत लाया गया है।

25. प्रदेश की आर्थिकी में पशुधन का भी महत्वपूर्ण योगदान है। मेरी सरकार ने प्रदेश के पशुपालकों को उन्नत नस्ल का पशुधन उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से **'राष्ट्रीय गोकुल मिशन'** के अन्तर्गत 195 लाख रूपये की लागत से साहीवाल और रैडसिंधी नस्ल की गाय में, पालमपुर में भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीक का कार्य आरम्भ कर दिया है। प्रयोगशाला के निर्माण कार्य, उपकरणों के क्रय तथा प्रशिक्षण पर 1 करोड़ 64 लाख रूपये की राशि व्यय की गई है। इस परियोजना के अन्तर्गत तीन पशु चिकित्सा अधिकारियों को प्रशिक्षण दिलवाया जा चुका है व उत्तराखण्ड पशुधन विकास बोर्ड से 4 रेड सिंधी गायों का क्रय कर लिया गया है। जिला ऊना में 5 करोड़ 6 लाख रूपये की लागत से मुर्रा नस्ल के भैंसों के फार्म की स्थापना की जा रही है।

26. पशु स्वास्थ्य देखभाल के लिए प्रदेश में 8 पशु औषधालय क्रमशः झुंगी, सल्वाण, गुम्मा, सजाओ पिपलू व बगस्याड (जिला मण्डी); जाहू (जिला हमीरपुर); भाटला व नैनाटिक्कर (जिला सिरमौर) को पशु चिकित्सालय तथा कोटला बेहड़ चिकित्सालय (जिला कांगड़ा) को पॉलीक्लीनिक (Polyclinic) में स्तरोन्नत (upgrade) किया गया है। इसके अतिरिक्त बाड़ा (जिला मण्डी) में नया पशु चिकित्सालय, बरनोह (जिला ऊना) में नया क्षेत्रीय पशु चिकित्सालय तथा काण्डा (जिला शिमला) में नया पशु औषधालय स्थापित किया गया है।

27. एन0डी0डी0बी0 (NDDB) और टाटा ट्रस्ट के सहयोग से राज्य में विटामिन ए और डी की कमी को दूर करने के लिए दिनांक

28 नवम्बर, 2019 को विटामिन ए और डी युक्त फोर्टीफाइड दूध 'हिम गौरी' की शुरूआत की है।

28. मेरी सरकार ने आवारा पशुओं को आश्रय प्रदान करने हेतु जिला सिरमौर के कोटला बड़ोग में 1 करोड़ 52 लाख रूपये की लागत से गौ–अभ्यारण्य (cow sancturary) स्थापित किया है। इसके अतिरिक्त जिला ऊना के थानाकलाँ में 2 करोड़ 97 लाख रूपये, तथा जिला सोलन के हाण्डाकुंडी में 2 करोड़ 56 लाख रूपये की लागत से गौ–अभ्यारण्य स्थापित किए जा रहे हैं।

29. ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन, रोजगार सृजन, सामुदायिक सशक्तिकरण, मानवीय व अन्य आर्थिक संसाधनों का विकास मेरी सरकार की प्राथमिकताएं हैं, जिसके लिए प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। चालू वित्तीय वर्ष में **'स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)'** के अन्तर्गत दिसम्बर, 2019 तक प्रदेश में कुल 494 सामुदायिक शौचालयों का निर्माण किया गया है। 139 ग्राम पंचायतों में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबन्धन गतिविधियां आरम्भ की गई हैं। इस सम्पूर्ण प्रक्रिया पर 22 करोड़ 48 लाख रूपये व्यय किए जा चुके हैं। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत अब तक कुल 1 हज़ार 686 सामुदायिक शौचालयों का निर्माण किया गया है और 903 ग्राम पंचायतों में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबन्धन गतिविधियां शुरू की गई हैं।

30. वर्तमान वित्तीय वर्ष में **'महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना' (मनरेगा)** के अन्तर्गत दिसम्बर, 2019 तक

4 लाख 60 हज़ार 294 परिवारों ने लगभग 1 करोड़ 92 लाख कार्य दिवस अर्जित किए हैं, जिनमें से 29 हज़ार 412 परिवारों ने 120 दिन के कार्य दिवस पूर्ण किए हैं। इस योजना में 63 प्रतिशत कार्य दिवस महिलाओं द्वारा अर्जित किए गए हैं। मनरेगा के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष में अब तक 36 हज़ार 942 कार्य पूर्ण किये गये हैं, जिनमें 5 हज़ार 300 भूमि सुधार से सम्बन्धित कार्य भी शामिल हैं। इन कार्यों से किसानों की आय में वृद्धि हुई है। वर्तमान वर्ष में अब तक, इस योजना पर लगभग 491 करोड़ रूपये व्यय किए गए हैं, जिसका 57 प्रतिशत व्यय, प्राकृतिक संसाधन प्रबन्धन पर किया गया है।

31. **'राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन'** के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष में 2 हज़ार 800 स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया तथा छोटे पैमाने पर आर्थिक गतिविधियों, जैसे जूट बैग उत्पादन, खुंब उत्पादन इकाई इत्यादि को बढ़ावा देने हेतु 4 करोड़ 4 लाख रूपये की राशि उपलब्ध करवाई गई। 4 हज़ार 23 स्वयं सहायता समूहों को आर्थिक सशक्तिकरण एवं गतिविधियों के लिए रियायती दरों पर 56 करोड़ रूपये बैंक ऋण के तौर पर उपलब्ध करवाया गया है। इन आर्थिक गतिविधियों में बनाये गए उत्पादों, जैसे हिमाचली सदरी व जैकट, खुंब उत्पाद, इत्यादि का विक्रय **'हिम–ईरा'** नामक ब्राण्ड के अन्तर्गत किया जा रहा है। जुलाई, 2019 से इस ब्राण्ड के तहत ग्रामीण महिलाओं द्वारा निर्मित उत्पादों की ग्रामीण मेले एवं हिमाचल सचिवालय

में स्थित प्रदर्शन केन्द्र से अब तक 53 लाख रूपये की आय अर्जित हुई है।

32. वर्तमान वित्तीय वर्ष में प्रदेश में 31 दिसम्बर, 2019 तक **'दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना'** के अन्तर्गत 1 हज़ार 504 प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण दिया गया तथा 504 प्रशिक्षुओं को विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार प्रदान करवाया गया। **'प्रधानमन्त्री आवास योजना–(ग्रामीण)'** के अन्तर्गत 808 आवासों की स्वीकृति तथा 439 आवासों का निर्माण किया गया। प्रदेश को इस योजना के श्रेष्ठ कार्यान्वयन के लिए दिनांक 19 दिसम्बर, 2019 को भारत सरकार द्वारा पुरस्कृत किया गया। **'मुख्यमन्त्री आवास योजना'** के अन्तर्गत चालू वित्त वर्ष के दौरान प्रदेश में 12 करोड़ 49 लाख रूपये की लागत से कुल 558 आवासों का निर्माण किया जा रहा है। **'मुख्यमन्त्री आवास मुरम्मत योजना'** के अन्तर्गत 4 करोड़ 76 लाख रूपये की लागत से कुल 1 हज़ार 358 आवासों की मुरम्मत का लक्ष्य रखा गया है। **'मातृ–शक्ति बीमा योजना'** के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 31 दिसम्बर, 2019 तक कुल 134 परिवारों को 2 करोड़ 66 लाख रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान की गई है।

33. मेरी सरकार मत्स्य उत्पादन के क्षेत्र में रोज़गार के अवसर प्रदान करने तथा मछुआरों की आय–वृद्धि हेतु भी निरन्तर प्रयासरत है। प्रदेश के 13 हजार से अधिक परिवार विभिन्न जलाशयों, नदियों एवं तालाबों इत्यादि से मत्स्य पालन का कार्य करते हैं। वर्तमान

वित्त वर्ष में 550 युवाओं को मत्स्य क्षेत्र में रोज़गार प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें 31 दिसम्बर, 2019 तक 358 युवाओं को रोज़गार के अवसर प्रदान किए गए हैं। इसके अतिरिक्त मत्स्य उत्पादन एवं ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को रोज़गार के अवसर प्रदान करने हेतु कोलडैम में 72 लाख रूपये की लागत से केज कल्चर प्रोजेक्ट की स्थापना की जा रही है।

34. **'नील क्रान्ति योजना'** के अन्तर्गत सम्भावित क्षेत्रों में लगभग 2 करोड़ 28 लाख रूपये की वित्तीय सहायता से 100 नई ट्राऊट इकाईयों का निर्माण किया गया है। इसके अतिरिक्त 200 जलाशय माहीगीरों को आवास प्रदान किए जा रहे हैं। कार्प (Carp) उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु 10 हैक्टेयर नए तालाबों का निर्माण किया जा रहा है। 20 लाख रूपये की वित्तीय सहायता से निजी क्षेत्र में 2 ट्राऊट हैचरियाँ स्थापित की जा रही हैं। कुल्लू जिले के ट्राऊट फार्म पतलीकुहल में स्मोक्ड ट्राऊट एवं फिले कैनिंग सेन्टर (Smoked Trout and Fillet Canning Centre) स्थापित किया जा रहा है।

35. मछुआरों को उचित मूल्य दिलाने के लिए काँगड़ा, चम्बा और शिमला जिलों में निजी क्षेत्र में मत्स्य खुदरा विक्रय केन्द्रों की स्थापना की जा रही है, जिसमें से काँगड़ा जिले में मत्स्य खुदरा विक्रय केन्द्र को कार्यशील कर दिया गया है तथा चम्बा और शिमला जिलों में इन केन्द्रों को शीघ्र ही कार्यशील किया जाएगा। प्रदेश में 497 ट्राऊट उत्पादकों की उच्च गुणवत्ता ट्राऊट फीड की मांग को पूरा करने हेतु 20

लाख रूपये की वित्तीय सहायता से निजी क्षेत्र में 4 ट्राऊट फीड मिलों को स्थापित किया जा रहा है।

36. प्रदेश में **'राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013'** के तहत 28 लाख 66 हज़ार लाभार्थियों को चयनित किया जा चुका है। मेरी सरकार द्वारा उक्त अधिनियम के तहत चयनित लाभार्थियों को **'अन्तोदय अन्न योजना'** श्रेणी में 2 रूपये प्रति किलो की दर से 20 किलो गन्दम, तथा 3 रूपये प्रति किलो की दर से 15 किलो चावल प्रति राशन कार्ड प्रति माह उपलब्ध करवाया जा रहा है।

37. मेरी सरकार प्रदेश के सभी उपभोक्ताओं के हितों को सुनिश्चित करने हेतु सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत उच्च गुणवत्तायुक्त राशन प्रदान करने हेतु प्रतिबद्ध है। **'राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना'** के अन्तर्गत माह जनवरी, 2020 से आयरन, फोलिक एसिड और विटामिन बी12 से युक्त गंदम आटा बी0पी0एल0 परिवारों को 3 रूपये 20 पैसे प्रति किलो, तथा ए0पी0एल0 को 9 रूपये 30 पैसे प्रति किलो की दर से उपलब्ध करवाया जा रहा है।

38. मेरी सरकार द्वारा **'विशेष राज्य अनुदानित योजना'** के अन्तर्गत सभी उपभोक्ताओं को 3 दालें, 2 खाद्य तेल, 1 किलोग्राम आयोडिनयुक्त नमक एवं 500 ग्राम चीनी प्रति सदस्य उपलब्ध करवाई जा रही है। चालू वित्त वर्ष में इस योजना पर 225 करोड़ रूपये व्यय होना सम्भावित है।

39. मेरी सरकार उपभोक्ताओं को बढ़ती कीमतों से राहत प्रदान करने, खाद्यान्नों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने एवं मुनाफाखोरी, जमाखोरी और कालाबाज़ारी के उन्मूलन हेतु वचनबद्व है। वर्तमान वित्त वर्ष में आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 में निहित प्रावधानों के अर्न्तगत 22 हज़ार 509 निरीक्षण किए गए तथा 7 लाख 89 हज़ार रूपये की वस्तुएँ जब्त की गई और 11 लाख 76 हज़ार रूपये की प्रतिभूति राशि दिनांक 30 नवम्बर, 2019 तक सरकारी कोष में जमा करवाई गई।

40. राज्य के स्थाई निवासियों को स्वरोज़गार के अवसर उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से **'मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना'** आरम्भ की गई है। इस योजना के अंतर्गत 18 से 45 आयु वर्ग के युवाओं को 50 लाख रूपये तक की कुल परियोजना लागत वाले उद्यम स्थापित करने के लिए, संयंत्र व मशीनरी में 40 लाख रूपये तक के निवेश पर 25 प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है। योजना के तहत महिलाओं को 30 प्रतिशत तक के अनुदान का प्रावधान है। 40 लाख रूपये तक के ऋण पर 3 वर्ष के लिए 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान भी दिया जा रहा है। चालू वित्तीय वर्ष में प्रदेश के युवाओं के लिए रोज़गार सृजन हेतु 28 करोड़ रूपये की अनुदान राशि के 687 मामलों को मंजूरी प्रदान की गई है।

41. सूचना एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा शिमला तथा धर्मशाला में दो सॉफ्टवेयर टैक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त, स्थानीय युवाओं के कौशल वृद्धि हेतु एशियन विकास बैंक के सहयोग से

मॉडल कैरियर सेंटर व सिटी लाइवलीहुड सेंटर भी स्थापित किए जा रहे हैं।

42. मेरी सरकार पंचायती राज संस्थाओं के सशक्तिकरण हेतु प्रभावशाली कदम उठा रही है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में **'राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान'** के अन्तर्गत ग्राम पंचायत भवन के निर्माण, मुरम्मत व अपवर्धन हेतु जिला सिरमौर व जिला किन्नौर को क्रमशः 2 करोड़ 50 लाख रूपये व 1 करोड़ 84 लाख रूपये की राशि जारी की गई है। इसके अतिरिक्त 184 ग्राम पंचायतों के भवनों के निर्माण व उन्नयन के लिए 12 करोड़ 72 लाख रूपये 3 जिला परिषद् भवनों के उन्नयन के लिए 29 लाख रूपये और 01 पंचायत समिति के भवन के उन्नयन के लिए 13 लाख रूपये की राशि भी जारी की गई है।

43. सभी पंचायती राज प्रतिनिधियों के मानदेय में दिनांक 1 अप्रैल, 2019 से वृद्धि की गई है। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायतों में कार्यरत पंचायत चौकीदारों के मासिक पारिश्रमिक को **4 हज़ार 150 रूपये से बढ़ाकर 4 हज़ार 800 रूपये प्रति माह** किया गया है।

44. विभिन्न पंचायती राज योजनाओं एवं कार्यक्रमों के तीव्र व प्रभावी कार्यान्वयन हेतु जिला परिषद् काडर में तकनीकी विंग का गठन कर इसके संचालन हेतु अधिशासी अभियन्ता के 03 पद, सहायक अभियन्ता के 32 पद, डिजाइन अभियन्ता के 17 पद, प्रारूपकार के 35 पद तथा तकनीकी सहायक के 1 हज़ार 81 पदों सहित कुल 1 हज़ार 168 पदों का सृजन किया गया है। इसके अतिरिक्त पंचायती राज

संस्थाओं के लगभग 26 हज़ार 488 पदाधिकारियों व कर्मचारियों को हिमाचल प्रदेश न्यायिक अकादमी, हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान तथा पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से विभिन्न विषयों पर प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

45. मेरी सरकार ने वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान प्रदेशवासियों की सुविधा हेतु शिमला, सोलन, कुल्लू व ऊना जिलों की मुसाबियों का डिजिटलीकरण (digitalization) कर उसे जमाबन्दियों के साथ एकीकृत कर, विभागीय वेबसाइट पर डाल दिया है। तीन जिलों क्रमशः कांगड़ा, बिलासपुर तथा सिरमौर की मुसाबियों के डिजिटलीकरण का कार्य प्रगति पर है।

46. भारत सरकार के **'डिजिटल इंडिया लैंड रिकार्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम'** के अन्तर्गत विकसित नेशनल जैनेरिक डाक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर को पायलट आधार पर प्रदेश की 2 तहसीलों में दिनांक 12 सितम्बर, 2019 से लागू किया गया है। इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से आम जनता की भूमि के क्रय–विक्रय तथा तबादलों से सम्बन्धित पंजीकरण प्रक्रिया ऑनलाइन की जाएगी।

47. वर्तमान वित्तीय वर्ष में प्रदेशवासियों के राजस्व मामलों के त्वरित निष्पादन हेतु प्रदेश में 4 नए पटवार वृत्त व 3 नई उप–तहसीलों का सृजन किया गया तथा 2 उप–तहसीलों को स्तरोन्नत कर तहसील बनाया गया।

48. मेरी सरकार ने प्रदेश में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल के गठन की स्वीकृति दी है। इस बल में तीन कम्पनियों की स्थापना क्रमशः पुलिस रेंज शिमला स्थित जुन्गा, मण्डी स्थित बाखली (नजदीक पंडोह) व धर्मशाला के नज़दीक स्कोह में की जाएगी। इस बल हेतु पुलिस, लिपिक वर्गीय व तकनीकी कर्मचारियों सहित 359 विभिन्न पदों का सृजन किया गया है। इसके अतिरिक्त 5 करोड़ रूपये की राशि बचाव व खोज उपकरणों की खरीद हेतु जारी की गई है।

49. नशे का सेवन आज एक गम्भीर सामाजिक चुनौती बन गया है। हमारा प्रदेश भी इस कुरीति से अछूता नहीं है। मेरी सरकार ने प्रदेश में नशाखोरी की प्रवृत्ति व इससे उत्पन्न होने वाली सभी प्रकार की समस्याओं को जड़ से उखाड़ने के लिए एक विशेष अभियान आरम्भ किया है। इस अभियान के तहत प्रदेश पुलिस व औषध नियन्त्रक पंजाब, हरियाणा तथा क्षेत्रीय निदेशक एन0सी0बी0 (N.C.B.) चण्डीगढ़ के साथ संयुक्त रणनीति बनाई गई है व पुलिस महानिरीक्षक (गुप्तचर और अपराध अन्वेषण विभाग) के नेतृत्व में एक संयुक्त कार्यदल गठित किया गया है।

50. प्रदेश में ड्रग्स और नशीले पदार्थों की अंतर्राज्यीय तस्करी व युवा पीढ़ी के बीच नशीली दवाओं के दुरूपयोग को रोकने तथा इस समस्या के उन्मूलन हेतु प्रभावी कार्य योजना तैयार करने के लिए नशा निवारण बोर्ड का गठन भी किया गया है। यह बोर्ड विभिन्न

कानून प्रवर्तन एजेन्सी और सरकारी विभाग के बीच समन्वय का कार्य करेगा।

51. मेरी सरकार ने नशे की रोकथाम के लिए दिनांक 30 जून, 2019 को टोल फ्री **'नशा निवारण हेल्पलाईन नंबर 1908'** आरम्भ किया है। इस हेल्पलाईन का मुख्य उद्देश्य आम जनता की पहचान को गुप्त रखकर, उन्हें मादक पदार्थों के तस्करों तथा नशीली दवाओं के सेवन करने वालों की जानकारी सांझा करने के लिए प्रोत्साहित करना और नशा निवारण के लिए परामर्श प्रदान करना है। इसके अतिरिक्त, राज्य में **'ड्रग फ्री हिमाचल मोबाईल ऐप'** भी शुरू की गई है। नशे के आदी व्यक्तियों के पुनर्वास हेतु सरकार राज्य में 3 **'एकीकृत पुनर्वास केन्द्र'** कुल्लू, धर्मशाला व नूरपुर में चला रही है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में शिमला में 1 नया नशा निवारण एवं पुनर्वास केन्द्र स्थापित किया गया है।

52. मेरी सरकार ने महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने तथा उन्हें आपातकालीन स्थिति में तुरन्त सहायता प्रदान करने के लिए **'गुड़िया हेल्पलाइन–1515'** आरम्भ की है। दिनांक 31 दिसम्बर, 2019 तक इस हेल्पलाईन पर प्राप्त लगभग समस्त शिकायतों का निपटारा किया जा चुका है। इस हेल्पलाईन के माध्यम से प्राप्त शिकायतों पर 163 एफ0आई0आर0 (F.I.R.) दर्ज़ की गई हैं। इसके अतिरिक्त महिलाओं की सुरक्षा हेतु राज्य के प्रत्येक पुलिस थाना में कम से कम 04 महिला पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। राज्य में अवैध

गतिविधियों एवं वन उत्पादों की तस्करी पर नियंत्रण के लिए मेरी सरकार ने 147 लाख रूपये की लागत से 99 अन्तर्राज्यीय नाकों पर सी0सी0टी0वी0 (CCTV) कैमरे भी स्थापित किए हैं।

53. चालू वित्तीय वर्ष में मेरी सरकार ने जिला मण्डी के पधर में 01 अग्निशमन चौकी व जिला बिलासपुर के झण्डूता, जिला ऊना के बंगाणा व जिला मण्डी के गोहर में एक–एक उप–दमकल केन्द्र खोलने का निर्णय लिया है। उप–दमकल केन्द्र गोहर ने दिनांक 02 दिसम्बर, 2019 से कार्य करना आरम्भ कर दिया है, जबकि बाकी बचे उक्त उप–दमकल केन्द्रों व अग्निशमन चौकी को क्रियाशील करने की प्रक्रिया जारी है।

54. मेरी सरकार राज्य में न्यायिक व्यवस्था के सुचारू निष्पादन के लिए कृतसंकल्प है। प्रदेश में 02 अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय क्रमशः सरकाघाट व सुन्दरनगर तथा 06 सिविल न्यायाधीश न्यायालय शिलाई, बंजार, तीसा, कुल्लू, झण्डूता व जयसिंहपुर में स्थापित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त पोक्सो (POCSO) मामलों की सुनवाई हेतु राज्य में 03 विशेष त्वरित न्यायालय जिला सोलन, जिला मण्डी एवं जिला कांगड़ा में स्थापित किए गए हैं। इन नव–स्थापित न्यायालयों को सुचारू रूप से संचालित करने हेतु विभिन्न श्रेणियों के 209 पद सृजित किए गए हैं।

55. संचार एवं परिवहन का प्रमुख माध्यम होने के कारण सड़कें प्रदेश की भाग्यरेखाएं हैं। राज्य में वर्तमान में 37 हज़ार 374

किलोमीटर वाहन योग्य सड़कें हैं। चालू वित्तीय वर्ष में 67 गांव को सड़कों से जोड़ने का कार्य पूर्ण किया है। इसके अतिरिक्त 595 किलोमीटर वाहन योग्य सड़कों, 1 हज़ार 227 किलोमीटर पक्की सड़कों, 38 पुलों और 730 किलोमीटर में जल निकास निर्माण का कार्य पूर्ण किया है।

56. प्रदेश में जनहित में 7 लोक निर्माण मण्डलीय कार्यालय क्रमशः कोटखाई, मनाली, भवारना, नेरचौक, भोरंज, इंदौरा व कोटला बेहर तथा 8 उप मण्डलीय कार्यालय क्रमशः गोपालपुर, बीर, बोगधार, भद्रवार, हरिपुर, डेरा बाबा रूद्रु (बसाल), पांगना और झण्डुता में सृजित किए गए हैं।

57. मेरी सरकार परिवहन विभाग के माध्यम से रोज़गार सृजन के साथ लोगों को गुणात्मक, आरामदायक एवम् स्वेच्छात्मक परिवहन सेवाएं उपलब्ध करवाने हेतु प्रयत्नशील है। चालू वित्त वर्ष में परिवहन क्षेत्र में 23 हज़ार 500 लोगों को रोज़गार प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें से दिनांक 31 दिसम्बर, 2019 तक प्रत्यक्ष रूप से 19 हज़ार 226 लोगों को रोज़गार प्रदान किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों धर्मशाला, शिमला, सोलन, कुल्लू तथा मण्डी को सुशासन की जरुरतों, जैसे ई–गर्वनैंस, रिकॉर्ड व सेवाओं का डिजिटलीकरण, प्रतीक्षा क्षेत्र और आम जनता के लिए बुनियादी सुविधाओं को पूरा करने के लिए नवीकरण किया गया है। ऊना में उच्च आधुनिक तकनीक युक्त क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय का निर्माण किया गया है।

58. परिवहन विभाग द्वारा प्रदान की जा रही सभी सेवाओं के लिए दिनांक 02 अप्रैल 2019 से सभी कार्यालयों में cash less payment की सुविधा आरम्भ की गई है। इसके अतिरिक्त परिवहन नाकों पर भी नगदी रहित प्रणाली का बुनियादी ढांचा तैयार किया गया है, जिसमें नगदी, पी0ओ0एस0 (POS) मशीनों के माध्यम से एकत्रित की जा रही है।

59. मेरी सरकार ने गैर परिवहन वाहनों के पंजीकरण हेतु वाहन विक्रेता के स्तर पर ही पंजीकरण प्रणाली को अधिसूचित किया है। प्रदेश में परिवहन सॉफ्टवेयर के माध्यम से ई–भुगतान सुविधा की व्यवस्था की गई है, जिसमें वाहनों से जुड़े विभिन्न शुल्क व करों को किसी भी समय अदा करने की सुविधा प्रदान की गई है। इसके फलस्वरूप क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय तथा पंजीयन व अनुज्ञापन प्राधिकरण कार्यालयों में लोगों की आवाजाही काफी कम हो गई है।

60. मेरी सरकार ने राज्य में सड़क सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से एक अभिनव, व्यापक और सतत् समुदाय आधारित सड़क सुरक्षा अभियान आरम्भ किया है, जिसके बहुत उत्साह जनक परिणाम आए हैं। इस अभियान के परिणामस्वरूप जहां राज्य के लोगों को रेडियो जिंगलज़, समाचार पत्र विज्ञापन, विभाग के सड़क सुरक्षा फेसबुक पेज, कॉलेज के युवाओं के लिए नारा लेखन प्रतियोगिता, स्कूली बच्चों के लिए चित्रकला प्रतियोगिता, सड़क सुरक्षा कार्यशाला आदि के माध्यम से शिक्षित किया गया, वहीं सड़क दुर्घटनाओं, घातक और गंभीर चोटों में

क्रमशः 9.02 प्रतिशत, 10.72 प्रतिशत और 10.70 प्रतिशत की कमी आई है।

61. क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय ऊना में सड़क सुरक्षा शिक्षा प्रदान करने के लिए इच्छुक अभ्यर्थी को ड्राईविंग लाईसैन्स के लिए राज्य का पहला सुरक्षा चालक शिक्षा केन्द्र स्थापित किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य विद्यालयों व महाविद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को लाईसैन्स से सम्बन्धित जानकारी प्रदान किया जाना है। अभी तक 2 हज़ार 500 से अधिक लोगों को सड़क सुरक्षा प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।

62. मेरी सरकार ने परिवहन विभाग के अधीन एक रज्जू मार्ग व तीव्र परिवहन निगम की स्थापना की है, जिसके अन्तर्गत शिमला और मनाली शहर में परिवहन प्रणाली पर व्यवहारिक अध्ययन का कार्य आरम्भ किया जाएगा। प्रदेश को फेम इण्डिया स्कीम के तहत शिमला शहर के लिए 50 विद्युत चलित बसें प्राप्त हुई हैं, जिनका शहर में प्रदूषणमुक्त वातावरण प्रदान करने हेतु प्रचलन किया जा रहा है। बस अड्डा प्राधिकरण द्वारा बस अड्डा निरमण्ड, सुन्नी तथा स्वारघाट का कार्य पूर्ण कर दिया गया है तथा बस अड्डा नालागढ़ और करसोग का कार्य प्रगति पर है, जिसका कार्य दिनांक 31 मार्च, 2020 तक कार्य पूर्ण किए जाने की सम्भावना है।

63. मेरी सरकार हर घर को नल से जल उपलब्ध करवाने के लिए वचनबद्ध है। इस उद्देश्य से मेरी सरकार ने भारत सरकार के

जल शक्ति मंत्रालय द्वारा चलाए जा रहे **जल जीवन मिशन**' को युद्धस्तर पर लागू किया है। इस मिशन के अन्तर्गत 2 हज़ार 896 करोड़ रूपये की 327 पेयजल योजनाएं मंजूर हुई हैं। गत तीन महीनों में ही इस मिशन में 160 करोड़ रूपये व्यय किए जा चुके हैं व 58 हज़ार घरों को नल द्वारा जल उपलब्ध करवाया जा चुका है। चालू वित्त वर्ष में ही 1 लाख 8 हज़ार नए कनेक्शन उपलब्ध करवाने का लक्ष्य रखा गया है।

64. मेरी सरकार ने पहली बार ग्रामीण क्षेत्रों में 5 स्थानों पर मल उपचार संयंत्र का कार्य पायलट आधार (pilot basis) पर आरम्भ किया है। इस कार्य हेतु 27 करोड़ 51 लाख रूपये की धनराशि उपलब्ध करवाई गई है। इसके अतिरिक्त 5 नए शहरों क्रमशः मनाली, मण्डी, परवाणु, कालाअम्ब और त्रिलोकपुर को मल योजनाओं के अन्तर्गत कार्य आरम्भ करने के लिए 354 करोड़ रूपये की धनराशि स्वीकृत की गई है।

65. वर्तमान वित्त वर्ष में लघु सिंचाई योजनाओं के लिए लगभग 330 करोड़ रूपये का बजट प्रावधान रखा गया है। नवम्बर, 2019 तक लघु सिंचाई योजनाओं के अन्तर्गत 2 हज़ार 286 हैक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। कमान क्षेत्र विकास कार्य के लिए 80 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान कर 2 हज़ार 961 हैक्टेयर क्षेत्र को कवर करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें नवम्बर, 2019 तक 1 हज़ार 230 हैक्टेयर क्षेत्र को कवर कर लिया गया है।

66. जिला ऊना में दौलतपुर पुल से गगरेट पुल तक स्वां नदी के तटीयकरण के लिए 922 करोड़ 49 लाख, तथा

जिला कांगड़ा की तहसील इन्दौरा में छोंछ खड्ड के तटीयकरण के लिए 179 करोड़ 59 लाख रूपये का प्रशासनिक अनुमोदन एवं व्यय स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। स्वां नदी के तटीयकरण के लिए चालू वित्तीय वर्ष में 299 करोड़ रूपये की धनराशि जारी की गई है। इसी प्रकार मेरी सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष में छोंछ खड्ड के तटीयकरण हेतु भी 17 करोड़ 54 लाख रूपये की राशि जारी की है।

67. हिमाचल प्रदेश जल विद्युत उत्पादन में भारत वर्ष में अग्रणी राज्यों में से एक है। प्रदेश में अब तक 10 हज़ार 613 मेगावाट विद्युत क्षमता का दोहन किया जा चुका है। वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान 1 हज़ार 338 मेगावाट की 6 परियोजनाओं का आवंटन किया गया है। 34.6 मेगावाट क्षमता की 3 परियोजनाओं क्रमशः ज्यूरी (9.6 मेगावाट), रौरा (12 मेगावाट) व राला (13 मेगावाट) का सफलतापूर्ण दोहन किया गया है। एच0पी0पी0सी0एल0 (HPPCL) ने 5 मेगावाट बेराडोल सोलर पावर संयंत्र, बिलासपुर, बनाकर सार्वजनिक क्षेत्र में सोलर पावर के दोहन की शुरूआत की है।

68. प्रदेश में चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 6 हज़ार 672 Solar Street Lights, लगभग 8 मेगावाट क्षमता के ग्रिड संचालित रूफ टॉप सौर ऊर्जा प्लांट तथा लगभग 326 किलोवाट क्षमता के आफ ग्रिड सौर ऊर्जा प्लांट विभिन्न स्थानों पर स्थापित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त 3.90 मेगावाट क्षमता की ग्रिड संचालित सौर ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना की गई है।

69. **'मुख्यमंत्री रोशनी योजना'** के अन्तर्गत 1 हज़ार 345 गरीब परिवारों को विद्युत कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। विभिन्न उपभोक्ता परिसरों में स्थित 1 लाख 65 हज़ार इलैक्ट्रो–मेकैनिकल मीटरों को बदलकर उनके स्थान पर इलैक्ट्रोनिक मीटर स्थापित किए गए हैं। 8 हज़ार 500 लकड़ी के गले–सड़े खम्बों के स्थान पर लोहे के खम्बे लगाए गए हैं।

70. चम्बा, कुल्लू, शिमला और किन्नौर जिलों में 6 सब–स्टेशन और 6 ट्रांसमिशन लाइनों को पूरा किया गया है, जिनकी कुल लागत 1 हज़ार 381 करोड़ रूपये है। इन परियोजनाओं के पूर्ण होने से राज्य पावर ट्रांसमिशन नेटवर्क में 2 हज़ार 300 एम0वी0ए0 (M.V.A) की परिवर्तन क्षमता और 205 सर्किट किलोमीटर लाइन की वृद्धि हुई है। इससे राज्य के विद्युत संचार नेटवर्क को मज़बूती मिलेगी तथा 1 हज़ार मेगावाट की अतिरिक्त जल विद्युत की निकासी होने के साथ बिजली की गुणवता और विश्वसनीयता में भी सुधार होगा।

71. मेरी सरकार पर्यटकों को सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने तथा पर्यटन क्षेत्र में निवेश प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रदेश में निजी उद्यमियों को पर्यटन सम्बन्धी अधोसरंचना तैयार करने को प्रोत्साहित करने के लिए **'हिमाचल प्रदेश पर्यटन नीति 2019'** को अधिसूचित किया गया है। इस नीति के अन्तर्गत पर्यटन सम्बन्धी इकाइयों, जैसे होटल, रिजॉर्ट, हट्स, थीम पार्क, कन्वेंशन सेंटर, लाइट

एंड साउंड शो, वैलनेस टूरिज्म आदि की स्थापना हेतु रियायत व अनुदान देने का प्रावधान रखा गया है।

72. मण्डी जिले में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे को विकसित करने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार और भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण के बीच समझौता ज्ञापन दिनांक 15 जनवरी, 2020 को हस्ताक्षरित किया गया है। इसके अतिरिक्त वर्तमान हवाई अड्डों को विकसित करने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। आर0सी0एस0–उड़ान–।। (RCS-UDAN-II) योजना के अन्तर्गत प्रदेश में पाँच हेलीपोर्ट्स क्रमशः जिला मण्डी के कंगनीधार, जिला कुल्लू के सासे (मनाली), जिला सोलन के बद्दी, तथा जिला शिमला के शिमला और रामपुर में विकसित करने की प्रक्रिया आरम्भ की है।

73. मेरी सरकार द्वारा प्रदेश में नए गन्तव्य स्थानों को प्रचारित व क्षेत्रों के बारे पर्यटकों में जागरूकता पैदा करने के लिए पर्यटन उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। यह प्रयास प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने में सहायक सिद्ध होगा। इसके अतिरिक्त प्रदेश को **'अन्तर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेला–2020'** में **'थीम राज्य'** के रूप में चुना जाना व भाग लेना हमारे लिए गर्व की बात है।

74. मेरी सरकार महिलाओं के सामाजिक व आर्थिक, और बच्चों के शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और पोषण स्थिति में सुधार हेतु वचनबद्ध है। मेरी सरकार ने **'मदर टेरेसा मातृ संबल योजना'** के तहत निराश्रित एवं विधवा महिलाओं के 2 बच्चों के रखरखाव के लिए वित्तीय

सहायता को 5 हज़ार रूपये से बढ़ाकर 6 हज़ार रूपये प्रति बच्चा प्रतिवर्ष किया है। चालू वित्तीय वर्ष में इस योजना के अन्तर्गत 11 हज़ार 763 माताएं व 18 हज़ार 330 बच्चे लाभान्वित हुए हैं।

75. इस वर्ष **'मुख्यमंत्री कन्यादान योजना'** के अन्तर्गत गरीब, निराश्रित व विधवा महिलाओं की बेटियों की शादी के लिए दी जाने वाली वित्तीय सहायता को 40 हज़ार रूपये से बढ़ाकर 51 हज़ार रूपये किया गया है। चालू वित्त वर्ष में इस योजना के अन्तर्गत 1 हज़ार 187 लाभार्थियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई गई है। **'स्वरोज़गार योजना'** के तहत महिला विकास निगम से रियायती दर पर ऋण प्राप्त करने के लिए प्रार्थी महिला के परिवार की आय सीमा को 50 हज़ार रूपये प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 1 लाख रूपये प्रति वर्ष किया गया है।

76. मेरी सरकार ने आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ताओं के माध्यम से महिला स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों को प्रदर्शित तथा उनके विक्रय की पहल की है। इन उत्पादों को विपणन अवसर प्रदान करने हेतु हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के होटलों व इकाइयों में प्रदर्शित और बेचा जाता है। दिनांक 31 दिसम्बर, 2019 तक लगभग 4 लाख 35 हज़ार रूपये के उत्पादों की बिक्री की जा चुकी है।

77. मेरी सरकार ने वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ता व सहायिका तथा मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ता का मानदेय बढ़ाकर क्रमशः **6 हज़ार 300 रूपये, 3 हज़ार 200 रूपये व 4 हज़ार 600 रूपये प्रतिमाह** कर दिया है।

78. निजी और सार्वजनिक स्थानों, परिवार के भीतर, समुदाय और कार्यस्थल पर हिंसा प्रभावित महिलाओं को चिकित्सा, कानूनी, मनोवैज्ञानिक और परामर्श सहायता सहित विभिन्न प्रकार की सेवाओं की एक छत के नीचे त्वरित, आपातकालीन और गैर–आपातकालीन पहुंच की सुविधा प्रदान करने तथा महिलाओं के विरूद्ध किसी भी प्रकार की हिंसा को रोकने हेतु ऊना जिला में 'वन स्टॉप सेन्टर' स्थापित कर कार्यात्मक बनाया गया है।

79. मेरी सरकार ने **'मुख्यमंत्री बाल उद्धार योजना'** के अन्तर्गत आठवीं, नवीं, दसवीं, ग्यारहवीं और बारहवीं कक्षाओं में शीर्ष दो स्थानों पर आने वाले बाल व बालिका आश्रम के 02 लड़कों और 02 लड़कियों को 10 हज़ार रूपये प्रति बच्चे वार्षिक छात्रवृत्ति का प्रावधान किया है। इस वित्तीय वर्ष में भारत सरकार के पूर्व अनुमोदन से, देखभाल और संरक्षण की जरूरत के बच्चों को अस्थायी आश्रय प्रदान करने के लिए एक नया ओपन शेल्टर मंडी में स्थापित कर कार्यात्मक बनाया गया है।

80. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने राज्य को 3 उत्कृष्टता पुरस्कारों से सम्मानित किया है, जिनमें राज्य स्तर पर क्षमता निर्माण अभिसरण और व्यवहारिक परिवर्तन और सामुदायिक संघटन के लिए प्रथम पुरस्कार, पोषण अभियान के कार्यान्वयन में समग्र उत्कृष्टता और समेकित बाल विकास सेवाओं के लिए द्वितीय पुरस्कार शामिल हैं। चालू वित्तीय वर्ष में जिला सोलन को जिला स्तर पर पोषण

अभियान के कार्यान्वयन के लिए देश में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके अतिरिक्त राज्य के जिला ऊना ने **'प्रधानमन्त्री मातृ वंदना योजना'** के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए 1 करोड़ से कम आबादी वाले राज्यों की श्रेणी में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। मेरी सरकार महिलाओं एवं बाल–बालिकाओं के विकास एवं उज्जवल भविष्य के लिए समर्पित रहेगी।

81. मेरी सरकार समाज के पिछड़े व कमज़ोर वर्गों के उत्थान हेतु भी प्रयासरत है। मेरी सरकार द्वारा सामाजिक सुरक्षा पेन्शन के अंतर्गत पात्र व्यक्तियों को प्रदान की जाने वाली सहायता राशि को दिनांक 01 जुलाई 2019 से बढ़ी हुई दरों, जिनमें 70 वर्ष से कम आयु के लाभार्थियों को **850 रूपये प्रति माह** व 70 वर्ष से अधिक और 70 प्रतिशत या उससे अधिक की दिव्यांगता वाले लाभार्थियों को **1500 रुपये प्रति माह** की दर से प्रदान किया जा रहा है। वर्तमान वित्त वर्ष में मेरी सरकार द्वारा 5 लाख 34 हज़ार 578 व्यक्तियों को विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पैंशन प्रदान की जा रही है, जिस पर 711 करोड़ रूपये की राशि व्यय की जा रही है।

82. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्गों को गृह निर्माण के अन्तर्गत नए मकान बनाने हेतु 1 लाख 30 हज़ार रुपये प्रति व्यक्ति तथा घर की मुरम्मत हेतु 25 हज़ार रूपये प्रति व्यक्ति की दर से अनुदान राशि प्रदान की जा रही

है। वर्तमान वित्त वर्ष में मकान बनाने हेतु 19 करोड़ रूपये खर्च किए जा रहे हैं।

83. मेरी सरकार श्रमिकों और कामगारों के हितों की रक्षा हेतु कृतसंकल्प है। असंगठित क्षेत्र में कामगारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा आरम्भ की गई महत्वकांक्षी योजना **'प्रधान मन्त्री श्रमयोगी मानधन पेन्शन योजना'** को प्रदेश में भी दिनांक 5 मार्च, 2019 से आरम्भ किया गया है। इस योजना के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष में लगभग 39 हज़ार कामगारों को पंजीकृत किया गया है। **'कौशल विकास भत्ता योजना'** के अन्तर्गत 65 हज़ार 522 अभ्यर्थियों को कुल 31 करोड़ 26 लाख रूपये की राशि कौशल विकास भत्ता के रूप में प्रदान की गई। **'बेरोज़गारी भत्ता योजना'** के अन्तर्गत दिसम्बर, 2019 तक 45 हज़ार 323 लाभार्थियों को कुल 28 करोड़ 52 लाख रूपये की राशि वितरित की गई है।

84. मेरी सरकार प्रदेश के बेरोज़गार युवाओं को रोज़गार के अवसर उपलब्ध करवाने हेतु राज्य में रोज़गार मेले व साक्षात्कार शिविरों का आयोजन कर रही है। गत वर्ष प्रदेश में विशेष रूप से ग्रामीण व दूरदराज़ क्षेत्रों में 9 रोज़गार मेलों और 98 साक्षात्कार शिविरों का आयोजन किया गया है। इन रोज़गार मेलों और साक्षात्कार शिविरों के माध्यम से लगभग 5 हज़ार 631 बेरोज़गार युवाओं को निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में रोज़गार उपलब्ध करवाया गया है।

85. मेरी सरकार सेवारत सैनिकों, पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। कीर्ति चक्र पुरस्कार विजेता सैनिकों को प्रदान की जा रही वार्षिकी को 1 लाख 50 हज़ार रूपये से बढ़ाकर महावीर चक्र विजेताओं की वार्षिकी के समकक्ष **2 लाख रूपये** किया गया है। द्वितीय विश्वयुद्ध के सैनिकों की आर्थिक सहायता राशि को 3 हज़ार रूपये से बढाकर **10 हज़ार रूपये प्रति माह**, व उनकी विधवाओं की आर्थिक सहायता राशि को 3 हज़ार रूपये से बढ़ाकर **5 हज़ार रूपये प्रति माह** किया है। देश की सशस्त्र सेनाओं में अधिकारी बनने के लिए एस0एस0बी0 (S.S.B.) कोचिंग हेतु पुनःस्थापना एवं पुनःनिर्माण विशेष निधि से दी जाने वाली एक मुश्त प्रोत्साहन राशि को 6 हज़ार रूपये से बढ़ाकर **12 हज़ार रूपये** किया गया है।

86. प्रदेश के भूतपूर्व सैनिकों व उनकी विधवाओं, जिन्हें किसी प्रकार की पैन्शन नहीं मिलती और बुढ़ापा पैन्शन से ही जीवन यापन करना पड़ता है, की एकमुश्त आर्थिक सहायता राशि को 10 हज़ार रूपये से बढ़ाकर **20 हज़ार रूपये** किया है। भूतपूर्व सैनिकों के आश्रित अनाथ बच्चों के पैन्शन स्वीकृति तक भरण–पोषण के लिए एकमुश्त वित्तीय सहायता को भी 10 हज़ार रूपये से बढ़ाकर **20 हज़ार रूपये** किया है। इसके अतिरिक्त गंभीर रोग से पीड़ित भूतपूर्व सैनिकों व उनकी विधवाओं को चिकित्सा व्यय हेतु आर्थिक सहायता राशि को 25 हज़ार रूपये से बढ़ाकर **50 हज़ार रूपये** किया है।

87. मेरी सरकार ने दो बार एक ही वीरता पुरस्कार प्राप्त विजेताओं, जिनमें वीर चक्र, शौर्य चक्र, सेना मेडल व मेन्शन–इन–डिसपैच की वार्षिकी (बार) राशि को क्रमशः 300 रूपये से **1 लाख रूपये**, 250 रूपये से **1 लाख रूपये**, 250 रूपये से **10 हज़ार रूपये** तथा 150 रूपये से **10 हज़ार रूपये** बढ़ाने का निर्णय लिया है। इसके अतिरिक्त दो बार एक ही विशिष्ट पुरस्कार प्राप्त विजेताओं, जिनमें परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल व विशिष्ट सेवा मेडल की राशि को क्रमशः 5 हज़ार 400 रूपये से 10 हज़ार 800 रूपये, 4 हज़ार 800 रूपये से 9 हज़ार 600 रूपये व 3 हज़ार से 8 हज़ार रूपये बढ़ाने का निर्णय लिया है। मेरी सरकार ने विशिष्ट सेवाओं हेतु सेना मेडल विजेताओं को 8 हज़ार रूपये की वार्षिकी (बार) राशि विशिष्ट पुरस्कार के रूप में देने का निर्णय भी लिया है।

88. मेरी सरकार ने प्रदेश के जिला मण्डी के सरकाघाट में बर्छवाड़ नामक स्थान पर प्रदेश के युवाओं को भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना तथा अन्य अर्ध सैनिक बलों में प्रवेश हेतु प्रशिक्षित करने के लिए एक प्रशिक्षण अकादमी की स्थापना हेतु सैद्धांतिक मंजूरी दी है। 417 भूतपूर्व सैनिकों तथा उनके आश्रितों को हिमाचल प्रदेश भूतपूर्व सैनिक रोज़गार कक्ष के माध्यम से विभिन्न विभागों की मांग अनुसार मनोनीत किया गया है।

89. मेरी सरकार स्वतन्त्रता सेनानियों व उनके आश्रितों के कल्याण हेतु भी प्रतिबद्ध है। वर्तमान में प्रदेश सरकार द्वारा **'हिमाचल**

प्रदेश स्वतन्त्रता सेनानी सम्मान राशि योजना–1985' के अन्तर्गत 31 जीवित स्वतन्त्रता सेनानियों व 457 दिवंगत स्वतन्त्रता सेनानियों की पत्नियों को 15 हज़ार रूपये तथा उनकी अविवाहित पुत्रियों को 10 हज़ार रूपये प्रति माह की दर से सम्मान राशि प्रदान की जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष में 7 करोड़ 16 लाख रूपये की धनराशि वितरित की गई है।

90. मेरी सरकार प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातियों के समग्र विकास के लिए वचनबद्ध है। सरकार द्वारा कुल वार्षिक योजना बजट का 9 प्रतिशत भाग **'अनुसूचित जनजाति उप–योजना'** के लिए चिन्हित किया गया है। चालू वित्त वर्ष के दौरान **'जनजातीय उप योजना'** के अन्तर्गत अनुसूचित क्षेत्रों एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण के लिए 639 करोड़ रूपये प्रावधित किए गए हैं। प्रदेश के सीमांत विकास खण्डों कल्पा, पूह और स्पिति में विभिन्न विकासात्मक गतिविधियों हेतु सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत इस वर्ष 27 करोड़ 78 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है।

91. अनुसूचित जनजाति समुदाय के बच्चों के शैक्षणिक विकास के लिए विभिन्न प्रोत्साहन योजनाएं जैसे छात्रावास, दसवीं कक्षा तक निःशुल्क शिक्षा, किताबें व वर्दी, पूर्व मैट्रिक एवं मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति, परीक्षा पूर्व अनुशिक्षण इत्यादि अनेकों लाभकारी योजनाएं कार्यान्वित की जा रही है। इसी दिशा में भारत सरकार की स्वीकृति से शैक्षणिक सत्र

2019–20 से भरमौर, पांगी व लाहौल में एक–एक एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय आरम्भ किए गए हैं।

92. मेरी सरकार शिक्षा के क्षेत्र को उच्च प्राथमिकता देते हुए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने हेतु निरन्तर प्रयासरत है। प्रदेश ने शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हासिल की है। इन्हीं प्रयासों के फलस्वरूप प्रदेश को शिक्षा के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने हेतु मीडिया ग्रुप इंडिया टुडे (India Today) द्वारा आयोजित **'इंडिया टुडे स्टेट ऑफ स्टेट्स कॉन्क्लेव–2019'** (India Today State of States Conclave-2019) में लगातार दूसरी बार पुरस्कृत किया गया है।

93. शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल पहला ऐसा राज्य बन गया है, जहाँ data analytics का उपयोग करते हुए लगभग 4 लाख 77 हज़ार प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों का school wise डाटा सार्वजनिक अवलोकन के लिए उपलब्ध है, जिसे कोई भी नागरिक, अभिभावक, शिक्षक, अधिकारी व कर्मचारी देख सकते हैं कि एक स्कूल, सीखने के परिणामों के आधार पर, कैसा प्रदर्शन कर रहा है। इस डेटा ने पारदर्शिता को बेहतर बनाने में मदद की है और स्कूल परिणामों को और बेहतर बनाने के प्रति हमारी जवाबदेही को बढ़ाया है।

94. मेरी सरकार राज्य में 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने हेतु प्रयासरत है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रारम्भिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत 2 नए प्राथमिक विद्यालय तथा 16 प्राथमिक विद्यालयों का माध्यमिक स्तर पर

उन्नयन किया गया। इसके अतिरिक्त जिला मण्डी के रिवालसर और जिला ऊना के चौकी–मनियार में 2 खण्ड प्राथमिक शिक्षा कार्यालय भी खोले गए हैं।

95. मेरी सरकार प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के सभी रिक्त पदों को मापदंडो के अनुसार भरने के लिए वचनबद्व है। प्रारम्भिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत 4 हज़ार 50 शिक्षकों के पदों को अनुबन्ध आधार पर, व 174 पदों को पदोन्नति द्वारा भरा गया है तथा 192 शिक्षकों को नियमित किया गया है। एस0एम0सी0 (S.M.C.) शिक्षकों के पारिश्रमिक में **20 प्रतिशत** की वृद्धि की गई है। अंशकालीन जलवाहकों का मानदेय 2 हज़ार 200 रूपये प्रति माह से बढ़ाकर **2 हज़ार 400 रूपये प्रति माह** किया गया है।

96. **'अटल स्कूल वर्दी योजना'** के अन्तर्गत पहली से बारहवीं कक्षा तक शिक्षा ग्रहण कर रहे सभी विद्यार्थियों को वर्दी के दो सैट एक साथ प्रदान किए जा रहे हैं। वर्तमान वित्तीय वर्ष में इस योजना हेतु 40 करोड़ रूपये बजट का प्रावधान किया गया है। इस योजना के तहत लगभग 8 लाख 30 हज़ार 945 विद्यार्थी लाभान्वित हुए। इसके अतिरिक्त इस योजना के अन्तर्गत पहली, तीसरी, छठी और नौंवी कक्षा के विद्यार्थियों को निःशुल्क स्कूल बैग भी प्रदान किए गए हैं, जिससे चालू वित्तीय वर्ष में लगभग 2 लाख 56 हज़ार विद्यार्थी लाभान्वित हुए हैं।

97. मेरी सरकार ने गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने हेतु एक महत्वकांक्षी योजना **'अटल आदर्श विद्यालय योजना'** आरम्भ की है, जिसके अन्तर्गत किन्नौर, लाहौल–स्पिति और वे क्षेत्र जहाँ जवाहर नवोदय विद्यालय व एकलव्य मॉडल स्कूल खोले गए हैं, को छोड़कर, प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में अटल आदर्श विद्यालय खोले जाने हैं। प्रथम चरण में 15 अटल आदर्श विद्यालय खोले जाने के लिए जिला स्तर के उप–प्रारम्भिक शिक्षा निदेशकों से प्रस्ताव मांगे गये हैं।

98. स्कूलों की कार्यप्रणाली पर नजर रखने तथा उनके कामकाज में पाई जाने वाली खामियों को हल करने हेतु **'शिक्षा साथी ऐप'** शुरू किया गया है, जिसके माध्यम से वर्तमान वित्त वर्ष में 12 हज़ार 826 प्राथमिक व 8 हज़ार 948 प्रारम्भिक विद्यालयों का निरीक्षण किया गया है। छात्र–छात्राओं को शैक्षणिक सत्र के आरम्भ में ही निःशुल्क पाठयपुस्तकें उपलब्ध करवाने हेतु ई–वितरण प्रणाली आरम्भ की गई है, जिसमें पूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। प्राथमिक और माध्यमिक पाठशालाओं के विद्यार्थियों को स्वच्छ पेयजल प्रदान करने हेतु प्रथम चरण में 445 विद्यालयों में **अटल निर्मल जल योजना'** आरम्भ की गई है।

99. अभिभावकों के साथ शिक्षकों का संपर्क स्थापित करने के लिए **'एम–सम्वाद कार्यक्रम'** के अन्तर्गत 2 करोड़ रूपये आवंटित किए गए है। इस तकनीक के माध्यम से प्राथमिक विद्यालय के सभी अभिभावक अपने बच्चों के प्रदर्शन, परीक्षाओं, उपस्थिति, पी0टी0एम0

(P.T.M), छुटिटयों और अन्य सूचनाओं से सम्बन्धित नियमित जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।

100. मेरी सरकार उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार एवं पहुंच को विद्यार्थियों के घर–द्वार तक सुनिश्चित करने हेतु निरन्तर प्रयासरत है। इस दिशा में वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान उच्चतर शिक्षा विभाग में 26 राजकीय माध्यमिक पाठशालाओं को राजकीय उच्च पाठशाला तथा 25 राजकीय उच्च पाठशालाओं को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला के स्तर पर स्तरोन्नत किया गया है तथा शिक्षकों के 254 पद सृजित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, शिक्षकों तथा गैर–शिक्षकों के 344 पद सीधी भर्ती तथा 570 पद पदोन्नति के माध्यम से भरे गए। 431 शिक्षक तथा गैर–शिक्षक कर्मचारियों को नियमित किया गया है। चालू वित्तीय वर्ष में मेरी सरकार द्वारा पी0टी0ए0 (PTA) व पैरा शिक्षकों के मानदेय में बढ़ौतरी कर इन्हें **पे बैण्ड (Pay Band) की न्यूनतम राशि जमा ग्रेड पे व 144 प्रतिशत महंगाई भत्ता के बराबर मानदेय** दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त पैट शिक्षकों का मानदेय भी बढ़ाकर 27 हज़ार रूपये प्रतिमाह किया गया है।

101. प्रदेश के दुर्गम क्षेत्रों में शिक्षा के स्तर को उन्नत करने के लिए **'सी0वी0 रमन वर्चुअल क्लास रूम योजना'** के अन्तर्गत मण्डी जिले के 7 दूरस्थ महाविद्यालयों को राजकीय वल्लभ महाविद्यालय मण्डी के साथ जोड़ा गया है। इस योजना के माध्यम से सभी विषय वर्चुअल क्लास रूम के माध्यम से पढ़ाए जा रहे हैं। जिला चम्बा व शिमला के

विद्यालयों में वर्चुअल क्लास रूम स्थापित करने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है तथा अन्य जिलों में भी इस योजना पर कार्य जारी है। पढ़ाई में कमज़ोर बच्चों के स्तर को सुधारने के लिए **'प्रबल कार्यक्रम'** के तहत 9वीं कक्षा के बच्चों को पायलट स्तर पर सुधारात्मक शिक्षण जिला ऊना में सफलतापूर्वक आरम्भ किया गया है।

102. मेरी सरकार द्वारा संस्कृत भाषा को दूसरी राजकीय भाषा का दर्ज़ा प्रदान किया गया है। पुरातन पाण्डुलिपियों, अभिलेखों, पुस्तकों व विभिन्न अभिलेखीय सामग्री के डिजिटाइजेशन कार्य में गत वर्ष लगभग 16 लाख 91 हज़ार पृष्ठों का डिजिटाईजेशन किया गया।

103. मेरी सरकार तकनीकी शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए कृतसंकल्प है। वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान 08 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों नामतः नादौन स्थित रैल, जोगिन्दर नगर, मण्डी, गढ़जमुला, नैहरनपुखर, शमशी, सोलन (अतिरिक्त व्यवसाय) और राजकीय मॉडल औद्यौगिक प्रशिक्षण संस्थान नालागढ़ में उद्योगों की सहायता से प्रशिक्षुओं की कौशल शिक्षा को बढ़ाने हेतु दोहरी प्रशिक्षण प्रणाली को शुरु किया गया है।

104. पाँच नए राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कौंलावाला भुड, जिला सिरमौर; भंजराडू, जिला चम्बा; ऊटपुर, जिला हमीरपुर; रझून, जिला कांगड़ा एवं सलूनी, जिला चम्बा में शुरु किए गए हैं।

105. इसके अतिरिक्त 06 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान चौपाल, जिला शिमला; सुजानपुर टिहरा, जिला हमीरपुर; कुमारसेन, जिला शिमला; शिलाई, सराहन और कफोटा, जिला सिरमौर, में दो–दो नए व्यवसाय भी आरम्भ किए गए हैं। जिला शिमला के अटल बिहारी वाजपेयी राजकीय अभियान्त्रिकी महाविद्यालय में एक डिग्री स्तर का व्यवसाय नामतः इलैक्ट्रीकल ईंजिनियरिंग, व एक डिप्लोमा स्तर का नया व्यवसाय नामतः मेकैनिकल ईंजिनियरिंग की कक्षाएं सत्र 2019–20 से आरम्भ की हैं।

106. माह अप्रैल, 2019 से दिसम्बर, 2019 तक सभी सरकारी अभियान्त्रिकी महाविद्यालयों, राजकीय फार्मेसी महाविद्यालय, बहुतकनीकी एवं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों से लगभग 8 हज़ार 610 प्रशिक्षणार्थियों को विभिन्न औद्योगिक इकाईयों के माध्यम से रोजगार उपलब्ध करवाया गया है।

107. मेरी सरकार ने रोज़गार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्नातक अंतिम वर्ष के छात्रों के लिए, राज्य के 13 राजकीय स्नातक महाविद्यालयों में इलेक्ट्रॉनिक्स, सूचना प्रौद्योगिकी, सौंदर्य एवं कल्याण और पहनावे इत्यादि जैसे क्षेत्रों में एन0एस0क्यू0एफ0 (NSQF) संरेखित ग्रेजुएट ऐड ऑन (Graduate Add on) प्रशिक्षण कार्यक्रम आरम्भ किया है। वर्तमान में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 1 हज़ार 590 छात्र अपना प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं और चालू वित्तीय वर्ष में 05 महाविद्यालयों के 500 से अधिक छात्रों ने अपना प्रशिक्षण पूरा कर लिया है।

108. दिव्यांग व्यक्तियों की आजीविका और कौशल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य में **'नवधारणा'** नामक एक कार्यक्रम आरम्भ किया गया है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 300 दिव्यांग व्यक्तियों को खुदरा, आतिथ्य, कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में प्रशिक्षण प्रदान किया जाना है और इस उद्देश्य की प्रतिपूर्ति हेतु इन क्षेत्रों में विशिष्टता प्राप्त प्रशिक्षण सेवा प्रदाता की चयन प्रक्रिया जारी हैं।

109. मेरी सरकार ने प्रदेश के युवाओं को देश तथा प्रदेश में स्थापित उद्योगों में रोज़गार उपलब्ध करवाने हेतु प्रशिक्षण के उद्देश्य से उच्च श्रेणी के सरकारी संस्थानों एवं विश्वविद्यालयों से समझौता ज्ञापन किए हैं। इस उद्देश्य की प्रतिपूर्ति हेतु प्रदेश के 7 हज़ार 370 युवकों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वैब डिजाइनिंग, मशीन लर्निंग तथा उन्नत कर कानून इत्यादि के क्षेत्र में प्रशिक्षण उपलब्ध करवाया जा रहा है।

110. प्रदेश के युवाओं को रोज़गार उपलब्ध करवाने के लिए उनकी व्यवहार कुशलता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। मेरी सरकार ने प्रदेश के युवाओं को अंग्रेजी भाषा की जानकारी, नियुक्ति योग्यता एवं अपना व्यवसाय चलाने के उद्देश्य से प्रदेश के महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में 4 हज़ार 700, तथा बैंकिंग फाईनेंसियल सर्विसेज एंड इन्श्योरेंस (BFSI) में 5 हज़ार युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करने का लक्ष्य रखा है।

111. मेरी सरकार प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए आधारभूत ढांचे को विकसित करने व खिलाड़ियों को सुविधाएँ प्रदान

करने को प्रतिबद्ध है। **'मुख्यमन्त्री खेल विकास योजना'** के अन्तर्गत प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में एक बड़े खेल मैदान को विकसित करने के लिये 6 करोड़ 80 लाख रूपये की धनराशि व्यय की जा रही है। वर्तमान वित्त वर्ष में विशेष घटक येाजना के अन्तर्गत भी ग्रामीण क्षेत्रों में खेल मैदानों के निर्माण हेतु 2 करोड़ 50 लाख रूपये खर्च किये जा रहे हैं।

112. उत्कृष्ट खिलाड़ियों को विभिन्न विभागों में सरकारी नौकरियों प्रदान करने हेतु निर्धारित कोटे के अन्तर्गत चालू वित्त वर्ष के दौरान 50 उत्कृष्ट खिलाड़ियों को रोज़गार के लिए संस्तुतित किया गया है।

113. मेरी सरकार ने युवाओं को स्वरोज़गार प्रदान करने के उद्देश्य से **'राष्ट्र निर्माण कार्यक्रम'** के तहत कम्पयूटर प्रशिक्षण व मोबाईल मुरम्मत प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु 19 लाख 49 हज़ार रूपये की राशि व्यय की है। इसके अतिरिक्त विभिन्न युवा गतिविधियों के आयोजन पर कुल 1 करोड़ रूपये की राशि खर्च की है।

114. मेरी सरकार द्वारा गत दो वर्षों में स्वास्थ्य क्षेत्र में जरूरतमंद लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाने की दिशा में विशेष कार्य किया गया है। **'आयुष्मान भारत–प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना'** के अन्तर्गत 3 लाख 12 हज़ार परिवारों को गोल्डन कार्ड जारी किए गए हैं। जनवरी, 2020 तक इस योजना के अन्तर्गत 49 हज़ार 685 लाभार्थियों को 49 करोड़ 42 लाख रूपये की निःशुल्क चिकित्सा सहायता प्रदान की गई है।

115. केन्द्र सरकार के प्रयासों के अनुसरण में, तथा सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, दिनांक 1 जनवरी 2019 से **'हिमाचल हेल्थ केयर स्कीम'** (हिमकेयर) आरम्भ की है। चालू वित्त वर्ष में इस योजना के अन्तर्गत 3 लाख 93 हज़ार 609 नए लाभार्थियों का पंजीकरण किया गया है और लगभग 58 करोड़ रूपये की सहायता प्रदान की गई है। गंभीर बीमारियों से पीड़ित व्यक्तियों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए **'मुख्यमन्त्री चिकित्सा सहायता कोष'** गठित किया गया है, जिससे वर्तमान वित्तीय वर्ष में 312 लाभार्थियों को 5 करोड़ 75 लाख रूपये वित्तीय सहायता के रूप में प्राप्त हुए हैं। **'सहारा'** योजना के अन्तर्गत गम्भीर रोगों से ग्रसित 3 हज़ार लाभार्थियों को 2 हज़ार रूपये प्रति माह की दर से सहायता प्रदान की जा रही है।

116. **'मुख्यमंत्री निःशुल्क दवाई योजना'** के अन्तर्गत आंचलिक व क्षेत्रीय अस्पतालों में 330, नागरिक अस्पतालों व सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में 216 तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में 106 दवाइयां उपलब्ध करवाई जा रही हैं, जिस पर 80 करोड़ रूपये खर्च किए जाएंगे। **'अटल आशीर्वाद योजना'** के अन्तर्गत नवजात शिशुओं के लिए 10 करोड़ 67 लाख रूपये की लागत के 88 हज़ार नव आगन्तुक किट वितरित किए गए हैं। **'मुख्यमंत्री निरोग योजना'** के अन्तर्गत लगभग 15 लाख लोगों को पंजीकृत किया गया है। चालू वित्तीय वर्ष में आशा

कार्यकत्ताओं की मानदेय राशि को 1 हज़ार 250 रूपये से बढ़ाकर **1 हज़ार 500 रूपये प्रति माह** किया गया है।

117. सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं के व्यापक प्रसार एवं सुदृढ़ीकरण हेतु 16 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा 16 उप स्वास्थ्य केन्द्र नये सृजित किए हैं। 10 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र और 9 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को नागरिक अस्पतालों में स्तरोन्नत किया गया है। 14 नागरिक अस्पतालों और 1 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के बिस्तरों की संख्या में वृद्धि की गई। 538 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों व 521 उप स्वास्थ्य केन्द्रों को स्वास्थ्य सम्बन्धी सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर में परिवर्तित करने की अधिसूचना जारी की गई है। 338 सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों की नियुक्ति भी की गई है।

118. प्रदेश में चिकित्सकों की कमी को पूरा करने के लिए सरकारी व निजी क्षेत्र में एम0बी0बी0एस0 (MBBS) की 870 सीटें तथा स्नातकोत्तर स्तर की 253 सीटें आवंटित की गई है। श्री लाल बहादुर शास्त्री राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय नेरचौक, मण्डी में अटल चिकित्सा एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय का शुभारम्भ किया गया है। चालू वित्त वर्ष में 538 चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्ति की गई। इसके अतिरिक्त 311 पद पैरा मेडिकल स्टॉफ, 256 पद स्टाफ नर्स, 80 पद पुरूष स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता व 81 पद मिनिस्ट्रीयल स्टाफ सहित कुल 728 नियुक्तियाँ की गई।

119. कुल्लू, बिलासपुर, ऊना, हमीरपुर, चम्बा, नाहन व शिमला के जिला अस्पतालों एवं नागरिक चिकित्सालय पालमपुर, नूरपुर व पाँवटा साहिब में डायलसिस केन्द्र खोले गए हैं। गरीबी रेखा से नीचे रह रहे परिवारों को यह सुविधा निःशुल्क प्रदान की जा रही है। 52 उप स्वास्थ्य केन्द्रों में विशेषज्ञ Tele consultation सेवा प्रदान करने के लिए Tele Health Services का विस्तार किया गया है। प्रदेश में 7 उच्च भार सुविधाओं (High Load Facilities) में Palliative देखभाल सेवाएं आरम्भ की गई हैं।

120. इस वर्ष इन्दिरा गांधी चिकित्सा महाविद्यालय शिमला में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, दिल्ली के विशेषज्ञ चिकित्सकों के मार्गदर्शन में गुर्दा प्रत्यारोपण सुविधा को सफलतापूर्वक आरम्भ किया गया है। मस्तिष्क के स्ट्रोक, कैंसर, फेफड़ों में internal bleeding, आंतों, किडनी एवं गर्भाश्य के गंभीर रोगों के निदान एवं उपचार हेतु इन्दिरा गांधी चिकित्सा महाविद्यालय शिमला में 8 करोड़ 74 लाख रूपये की लागत से नवीनतम Digital Subtraction Angiography Machine स्थापित की गई है। प्रदेश में सी0बी0एन0ए0ए0टी0 (CBNAAT) मशीनों की सुविधा भी प्रदान की गई है। प्रदेश को टी0बी0 मुक्त प्रयासों के लिए वर्ष 2019 में केन्द्र सरकार द्वारा प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।

121. मेरी सरकार ने केन्द्रीय प्रायोजित योजना के तहत 90:10 के अनुपात में इन्दिरा गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, शिमला में

वर्तमान कैंसर अस्पताल को 45 करोड़ रूपये की लागत के तृतीयक देखभाल कैंसर केन्द्र (Tertiary Care Cancer Centre) के रूप में विकसित करने के लिए सैद्धांतिक तौर पर अनुमति प्रदान की है। इसका कार्य जून, 2021 तक पूर्ण होने की सम्भावना है। तद्पोरान्त यहाँ पर 32 करोड़ रूपये की लागत की 2 मशीनें CT Simulator and Linear Accelerator स्थापित होंगी। इसके अतिरिक्त लाल बहादुर शास्त्री राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, नेरचौक (जिला मण्डी) में भी 45 करोड़ की लागत के तृतीयक देखभाल कैंसर केन्द्र (Tertiary Care Cancer Centre) को स्थापित करने की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है।

122. मेरी सरकार द्वारा फरवरी, 2019 में कमला नेहरू राजकीय अस्पताल शिमला में 21 करोड़ रूपये की लागत से मातृ एवं शिशु केन्द्र का लोकार्पण किया गया है। डा0 राजेन्द्र प्रसाद राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, टाण्डा में गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी (Gastroenterology) व हिपेटोलॉजी (Hepatology) के नए विभाग खोले गए तथा पेडियाट्रिक्स (Pediatrics), इम्युनोलॉजी (Immunology) व रीयूमेटोलॉजी (Rheumatology) विभागों में सुपर स्पेशलिटी सैल एवं न्यूरोलॉजी (Neurology) विभाग में सुपर स्पेशलिटी पाठ्यक्रम आरम्भ किया गया है। प्रदेश में हेपेटाइटिस–सी (Hepatitis-C) के उपचार हेतु उत्कृष्टता केन्द्र स्थापित किया गया है, जिसका निदान एवं उपचार शुल्क राज्य सरकार

वहन करेगी। वरिष्ठ नागरिकों के लिए इन्दिरा गांधी चिकित्सा महाविद्यालय शिमला में अलग ओ0पी0डी0 (O.P.D.) आरम्भ की गई है।

123. मेरी सरकार आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति को प्रोत्साहित करने तथा प्रदेश की जनता को इसके माध्यम से बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने हेतु आयुर्वेद के संस्थागत ढांचे को सुदृढ़ करने को कृतसंकल्प है। मेरी सरकार द्वारा **'हिमाचल प्रदेश राज्य आयुष नीति–2019'** अधिसूचित की गई है जिससे प्रदेशवासियों के लिए रोज़गार के नए अवसर पैदा होंगे। मेरी सरकार द्वारा चालू वित्त वर्ष के दौरान 5 नए आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले गए। इसके अतिरिक्त 10 बिस्तरीय आयुर्वेदिक अस्पताल रामपुर को 20 बिस्तरीय व 10 बिस्तरीय आयुर्वेदिक अस्पताल जोगिन्दर नगर को 30 बिस्तरीय आयुर्वेदिक अस्पताल में स्तरोन्नत किया गया है। 30 आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केन्द्रों के भवनों का 6 करोड़ 25 लाख रूपये की लागत से निर्माण कार्य पूरा किया गया। मेरी सरकार द्वारा राजीव गाँधी राजकीय स्नात्कोत्तर महाविद्यालय एवं चिकित्सालय पपरोला, जिला काँगड़ा को **'अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान'** में स्तरोन्नत करने हेतु भारत सरकार को अनापत्ति प्रमाण पत्र भी जारी किया गया। हमें पूर्ण आशा है कि इस संस्थान के आने से आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति को गति मिलेगी।

124. **'राष्ट्रीय आयुष मिशन'** के अन्तर्गत 84 आयुष हेल्थ व वैलनेस केन्द्र अधिसूचित किए गए हैं, जिसके लिए भारत सरकार द्वारा 11 करोड़ 69 लाख़ रूपये की सहायता राशि दी गई है। इस वर्ष के

दौरान 50 किसानों को औषधीय पौधों की खेती पर 12 लाख रूपये का अनुदान वितरित किया गया, जिससे किसानों की आय में वृद्धि हुई है तथा औषधीय पौध में भी वृद्धि होगी।

125. चालू वित्त वर्ष के दौरान 26 लाख रोगियों को आयुर्वेदिक चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की गई। बहुविशेषज्ञता शिविरों के माध्यम से 22 हज़ार 845 मरीज़ों की स्वास्थ्य जाँच की गई। 20 राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में पंचकर्म चिकित्सा सुविधा के माध्यम से 24 हज़ार रोगियों को लाभान्वित किया गया।

126. प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्र के लगभग 67 प्रतिशत क्षेत्र को वन के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। इस बहुमूल्य सम्पदा के संरक्षण व संवर्धन की दिशा में प्रदेश में जुलाई, 2019 में 5 दिनों का विशेष पौधारोपण अभियान चलाया गया। इस अभियान के अंतर्गत राज्य में 1 लाख 18 हज़ार 932 स्थानीय जन सहभागिता से 26 लाख 47 हज़ार पौधे रोपित किए गए।

127. मेरी सरकार ने 25 दिसम्बर, 2019 से एक **'एक बूटा बेटी के नाम'** योजना आरम्भ की है। इस योजना का उद्देश्य जन समुदाय में नवजात कन्या के नाम पर पौधा रोपित कर, उन्हें वनों के महत्व तथा बालिकाओं के अधिकारों के प्रति जागरूक करना है। इस योजना के अंतर्गत प्रदेश में पैदा होने वाली बेटियों के परिवारों को 5 वानिकी प्रजाति के लम्बे पौधे, एवं उनके रख–रखाव के लिए एक किट भेंट स्वरूप प्रदान की जा रही है।

128. प्रदेश सरकार द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय से अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त प्रदेश के तीन वन मण्डलों नूरपुर, बिलासपुर व पांवटा साहिब के तीन वन परिक्षेत्रों क्रमशः नूरपुर (नूरपुर वन मण्डल), भराड़ी (बिलासपुर वन मण्डल) व भगानी (पांवटा साहिब वन मण्डल) में खैर, चील तथा साल प्रजातियों के वृक्षों के सिल्वीकल्चर पातन का कार्य प्रयोगात्मक तौर पर गत वित्तीय वर्ष में प्रारम्भ किया गया, जिसके अन्तर्गत चालू वित्त वर्ष के लिए प्रस्तावित 1 हज़ार 730 हैक्टेयर वन क्षेत्र में सिल्वीकल्चर सिद्धान्तों के अनुरूप पेड़ों को दोहन हेतु चिन्हित करने के उपरान्त निस्सारण का कार्य प्रगति पर है। इसके अतिरिक्त गत वित्तीय वर्ष में दोहन किए गए 274.83 हैक्टेयर वन क्षेत्र पर पौधारोपण एवं अन्य पुनर्जनन/ पुनरूत्थान कार्य किए गए। सिल्वीकल्चर सिद्धान्त के अनुरूप वन सम्पदा के दोहन से न केवल वनों के वातावरण से कार्बन को सोखने की क्षमता बढ़ेगी अपितु वनों की उत्पादकता एवं गुणवत्ता में सुधार के अतिरिक्त प्रदेश की आय में भी वृद्धि होगी।

129. जंगली जड़ी–बूटियों को बेचने व निजी ज़मीन पर इनके उत्पादन को बढ़ावा देकर रोज़गार के अवसर पैदा करने के उद्देश्य से **'वन समृद्धि जन समृद्धि'** नामक योजना आरम्भ की गई है। इस योजना को प्रदेश के सात जिलों में लागू किया गया है, जिनमें स्थानीय लोगों के समूह बनाए जा रहे हैं। इस योजना के अंतर्गत चालू वित्तीय वर्ष में 2 करोड़ रूपये व्यय किए जा रहे हैं।

130. मेरी सरकार प्रदेश में स्वच्छ पर्यावरण संरक्षण बनाए रखने के प्रति वचनबद्ध है और इस दिशा में अनेक कारगर कदम उठाए गए हैं। प्लास्टिक कचरे से होने वाले प्रदूषण के दुष्प्रभावों को कम करने हेतु प्रदेश में **'पॉलिथीन हटाओ, पर्यावरण बचाओ'** एवं **'स्वच्छता ही सेवा'** अभियान चलाए गए हैं। इन अभियानों के फलस्वरूप लगभग 44 टन प्लास्टिक कचरा एकत्रित किया गया जिसे सीमेंट उद्योगों तथा सड़क निर्माण के लिए उपयोग में लाया गया।

131. एकल उपयोग गैर–पुनर्चक्रीनीय प्लास्टिक (Single use non-recyclable plastic) की खरीद के लिए एक नई बाय–बैक पॉलिसी (Buy-back Policy) आरम्भ की गई है। इस नीति के तहत एकल उपयोग में आने वाला प्लास्टिक शहरी निकायों (ULBs) द्वारा स्थापित संग्रह केन्द्र के माध्यम से घरों तथा पंजीकृत कबाड़ बीनने वालों से 75 रूपये प्रति किलो की दर से खरीदा जा रहा है। चालू वित्तीय वर्ष में 1 हज़ार 54 किलोग्राम प्लास्टिक खरीदा गया है।

132. मेरी सरकार ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा सम्मति प्रार्थना पत्रों के तेजी से निष्पादन हेतु नई ऑनलाइन प्रणाली (Online Consent Management and Monitoring System) को अपनाया है। इकाईयों के संचालन के लिए सम्मति के नवीकरण की वैधता अवधि को बढ़ाकर, लाल श्रेणी इकाई के लिए 3 वर्ष से 5 वर्ष, नारंगी श्रेणी के लिए 5 वर्ष से 10 वर्ष तथा हरित श्रेणी के लिए 10 वर्ष से 15 वर्ष कर दी

गई है। हरित व नारंगी श्रेणी के उद्योगों की स्थापना के लिए निरीक्षण की शर्त को समाप्त कर दिया गया है।

133. मेरी सरकार ने शहरों को योजनाबद्ध तरीके से विकसित करने का निर्णय लिया है। **'प्रधानमन्त्री आवास योजना'** के अन्तर्गत शहरी निकायों के लिए 51 करोड़ 73 लाख रूपये की परियोजना लागत के साथ 1 हज़ार 179 नए घरों को भारत सरकार से स्वीकृत करवाया गया। वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान 648 आवास पूरे हो चुके हैं, जिसके लिए 10 करोड़ 69 लाख रूपये की धनराशि लाभार्थियों को उपलब्ध करवाई जा चुकी है।

134. भारत सरकार के महत्वकांक्षी कार्यक्रम **'स्वच्छ भारत मिशन'** के तहत प्रदेश की 54 शहरी स्थानीय निकायों में से 53 शहरी स्थानीय निकायों को भारत सरकार द्वारा खुला शौच मुक्त के रूप में प्रमाणित किया गया तथा एक शहरी स्थानीय निकाय को खुला शौच मुक्त के रूप में प्रमाणित करना प्रक्रियाधीन है। इस मिशन के अन्तर्गत इस वर्ष के दौरान प्रदेश के शहरों में 1 हज़ार 190 व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों का निर्माण किया गया।

135. इस वर्ष के दौरान **'राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन'** के अन्तर्गत 179 स्वयं सहायता समूहों और 2 क्षेत्र स्तरीय फेडरेशन का गठन किया गया। विभिन्न व्यवसायों में 371 लाभार्थियों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया गया तथा स्वरोज़गार कार्यक्रम के तहत 125 लाभार्थी लाभान्वित किए गए।

136. मुझे माननीय सदस्यगणों को यह बताते हुए अति प्रसन्नता हो रही है कि **'राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन'** के समग्र कार्यान्वयन के लिए उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों में हिमाचल प्रदेश ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, जिसके लिए प्रदेश को 5 करोड़ रूपये खुला अनुदान प्राप्त हुआ और प्रशंसा पट्टिका के साथ सम्मानित किया गया है।

137. मेरी सरकार ने **'अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन'** के अन्तर्गत इस वित्त वर्ष में शिमला तथा कुल्लू शहरों में 49 करोड़ 49 लाख रूपये की लागत की जल आपूर्ति, मल निकासी, पैदल मार्ग, पार्कों के निर्माण आदि की 12 योजनाओं का काम पूरा कर दिया है तथा 43 करोड़ 52 लाख रूपये की लागत की 11 योजनाओं का कार्य आवंटित कर दिया है।

138. **'स्मार्ट सिटी मिशन'** के अन्तर्गत शिमला शहर को 34 करोड़ रूपये की धनराशि उपलब्ध करवाई गई है। नगर एवं ग्राम योजना नियमों और विनियमों को सरल और सुव्यवस्थित करने के लिए मेरी सरकार ने एक राज्य स्तरीय समिति का गठन किया है, जिसमें राज्य के विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थानों के 3 क्षेत्र विशेषज्ञ शामिल हैं। यह समिति भू–पर्यावरण और साथ ही राज्य में प्रचलित सामाजिक–सांस्कृतिक, आर्थिक एवं पारम्परिक सामग्री एवं निर्माण प्रथाओं पर विचार करते हुए अधिक वैज्ञानिक एवं तर्कसंगत ढंग से पूरे राज्य के लिए नियमों और विनियमों का प्रस्ताव करेगी।

139. पत्रकार प्रदेश की कल्याणकारी योजनाओं व अन्य समाचारों को प्रदेश की जनता तक पहुँचाने का महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। अतः इस कार्य को प्रभावशाली रूप से करने के लिए मेरी सरकार ने प्रदेश के सभी राज्य व जिला स्तर के एक्रिडिटिड (Accredited) पत्रकारों को लैपटॉप प्रदान किए हैं।

140. चालू वित्तीय वर्ष में मेरी सरकार ने **'पत्रकार कल्याण योजना'** के अन्तर्गत सेवारत पत्रकार की मृत्यु पर उसके आश्रितों को मिलने वाली वित्तीय सहायता राशि को 2 लाख रूपये से बढ़ाकर **4 लाख रूपये** और सेवानिवृत्त पत्रकारों के लिए 50 हज़ार रूपये से बढ़ाकर **1 लाख रूपये** कर दी है।

141. मेरी सरकार ने प्रदेश के प्रतिभावान पात्र बच्चों एवं युवाओं को देश के प्रतिष्ठित फिल्म एवं टेलीविज़न संस्थानों, परफॉर्मिंग आर्ट्स संस्थानों इत्यादि में अध्ययन के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से **'कलाकार प्रोत्साहन योजना'** आरम्भ की है। इसके अन्तर्गत प्रदेश से उक्त संस्थानों में अध्ययन के लिए चुने जाने वाले बच्चों को **75 हज़ार रूपये** की प्रोत्साहन राशि एकमुश्त प्रदान की जाएगी। इस योजना को **'हिमाचल प्रदेश फिल्म नीति–2019'** में भी शामिल किया गया है।

142. मेरी सरकार ने प्रदेश की चालू वार्षिक योजना को 7 हज़ार 100 करोड़ रूपये अनुमोदित किया है। इस योजना परिव्यय में सामाजिक, परिवहन, कृषि तथा ऊर्जा क्षेत्र से सम्बन्धित योजनाओं को प्राथमिकता प्रदान की गई है, जिसके लिए कुल योजना परिव्यय का

क्रमशः लगभग 42 प्रतिशत, 17 प्रतिशत, 12 प्रतिशत व 10 प्रतिशत निर्धारित किया गया है।

143. दिसम्बर, 2019 को नीति आयोग द्वारा जारी की गई एस0डी0जी0 इंडिया इंडेक्स एण्ड डैशबोर्ड (SDG India Index & Dashboard), 2019–20 के अनुसार प्रदेश को सतत् विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में, पूरे देश में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। हिमाचल प्रदेश ने शिक्षा, लिंग समानता, शहरी विकास, असमानताओं को घटाने तथा आर्थिक विकास से सम्बन्धित लक्ष्यों की प्राप्ति में श्रेष्ठ प्रदर्शन किया है।

144. चालू वित्तीय वर्ष में '**विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना**' के अन्तर्गत विधायकों को उनके निर्वाचन क्षेत्र में विकास कार्यों हेतु प्रदान की जाने वाली धनराशि को 1 करोड़ 25 लाख रूपये से बढ़ाकर **1 करोड़ 50 लाख रूपये** किया गया है। इस योजना के अन्तर्गत लगभग 98 करोड़ रूपये की धनराशि प्रदान की गई है। '**क्षेत्रीय विकेन्द्रीकृत नियोजन**' के तहत 79 करोड़ 52 लाख़ रूपए की धनराशि उपलब्ध करवाई गई है।

145. वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान कर राजस्व में 24.24 प्रतिशत की वृद्धि होने से जनवरी, 2020 तक कुल 2 हज़ार 937 करोड़ 57 लाख़ रूपये का कर राजस्व संग्रहण किया गया है। मेरी सरकार ने राजस्व हित में दिनांक 21 जनवरी, 2019 को '**The Himachal Pradesh (Legacy Cases Resolution) Scheme**'

अधिसूचित की है। आशा है कि इससे पुराने, लम्बित कर निर्धारण मामलों का शीघ्र निपटारा संभव होगा जोकि व्यापारियों एवं सरकारी कर राजस्व, दोनों के हित में होगा।

146. मेरी सरकार कर्मचारियों व पेन्शनरों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। प्रदेश सरकार ने अपने कर्मचारियों व पेन्शनरों को 1 जनवरी 2019 से देय **4 प्रतिशत अतिरिक्त महंगाई भत्ता** जारी कर दिया है। अनुबन्ध कर्मचारियों के वेतन में उनको देय ग्रेड पे के **25 प्रतिशत की वृद्धि** प्रदान की गई है। 20 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण करने वाले तथा ग्रेड पे 1 हज़ार 900 पर कार्यरत सभी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को **एक अतिरिक्त वेतन वृद्धि** प्रदान की गई है। अंशदायी पेन्शन योजना/नई पेन्शन प्रणाली के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा दिए जाने वाले अंशदान को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर **14 प्रतिशत** कर कर्मचारियों को वर्तमान वित्तीय वर्ष में 140 करोड़ रूपये के वित्तीय लाभ प्रदान किए गए हैं।

147. विभिन्न विभागों में कार्यरत मज़दूरों की न्यूनतम दिहाड़ी को 225 रूपये से बढ़ाकर **250 रूपये** तथा अंशकालीन कामगारों की पारिश्रमिक दर को 28 रूपये 25 पैसा से **31 रूपये 25 पैसा प्रति घण्टा** किया गया है।

148. मेरी सरकार ने अब तक प्रदेश के विभिन्न विभागों में अलग–अलग श्रेणियों के 4 हज़ार 278 पदों को सृजित करने और 15 हज़ार 315 पदों को भरने की स्वीकृति प्रदान की है। इसके अतिरिक्त

हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड एवं हिमाचल पथ परिवहन निगम में भी लगभग 4 हज़ार पदों को भरने की स्वीकृति प्रदान की गई। प्रदेश के विभिन्न विभागों में तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के पदों पर नियुक्ति हेतु पात्रता नियम, 2019 बनाए गए हैं, जिसके अनुसार हिमाचल प्रदेश के स्थायी निवासी के अतिरिक्त, वही अभ्यर्थी तृतीय श्रेणी के पदों के लिए पात्र होगा, जिसने दसवीं और बारहवीं की परीक्षा, तथा चतुर्थ श्रेणी के लिए आठवीं या दसवीं की परीक्षा, हिमाचल प्रदेश में स्थित किसी भी विद्यालय एवं संस्थान से उत्तीर्ण की हो।

149. सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए राज्य सरकार के अधीन पदों पर सीधी भर्ती में 10 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया गया है। मेरी सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग तथा हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं में महिलाओं को आवेदन शुल्क की अदायगी में छूट प्रदान की गई है।

अन्त में, मैं इस विश्वास के साथ अपना अभिभाषण समाप्त करना चाहूँगा कि इस सम्माननीय सदन के मान्य सदस्यगण, इस सत्र को सफल और सार्थक बनाने के उद्देश्य से रचनात्मक विचार–विमर्श के द्वारा अपना सहयोग देंगे, ताकि मेरी सरकार प्रदेशवासियों की आवश्यकताओं तथा अपेक्षाओं के अनुरूप प्रभावी ढंग से कार्य कर सके। इन शब्दों के साथ मैं पुनः आपके सफल विचार–विमर्श की कामना करता हूँ।

जय हिन्द, जय हिमाचल।

उपाध्यक्षः अब इस माननीय सदन की बैठक बुधवार, दिनांक 26 फरवरी, 2020 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक स्थगित की जाती है।

शिमला-171 004 **यशपाल शर्मा,**
दिनांक: 25 फरवरी, 2020 **सचिव ।**